

# National Programme of Mid Day Meal in Schools (MDMS)

Annual Work Plan & Budget 2021-22

Name of the State: UTTAR PRADESH

## Mid Day Meal Programme Annual Work Plan and Budget 2021-22

#### 1- Introduction:

#### 1.1 Brief history:

National Programme of Nutritional Support to Primary Education also known as Mid-Day Meal Programme, was launched as a centrally sponsored scheme on 15<sup>th</sup> August 1995. It's objective is to boost universalization of primary education and to improve the nutritional status of children by the food being given to them.

On 28th November 2001, the Hon'ble Supreme Court passed the following order:-

- "1- We direct the State Government/Union territories to implement the mid-day meal scheme by providing every child in every government and government assisted primary schools with a prepared mid-day meal with minimum contents of 300 calories of energy and 8-12 grams of protein each day of school for a minimum of 200 days. Those governments providing dry rations instead of cooked meals must with in 3 months start providing cooked meals in all government aided primary schools in all of the districts of the state (in order of poverty) and must with in a further period of 3 months extend the provisions of cooked meals to the remaining parts of the state.
- 2- We direct the Union of India and the FCI to ensure provision of fair average quality grain for the scheme on time. The State/Union Territories and the FCI are directed to do joint inspection of food grains. If the food grain is found, on joint inspection, not to be of fair average quality, it will be replaced by the FCI prior to lifting."

In compliance of the Hon'ble Supreme Court's order dated 28-11-2001 cooked meal is being served to the beneficiaries of Mid-Day Meal from 1<sup>st</sup> September 2004. The food being served has been enriched by raising its protein contents and calorific value from 15<sup>th</sup> August 2006 and now it must have 450 calories of energy and 12 grams of protein in Primary Schools. In Upper Primary Schools, it should provide 700 calories and 20 grams of protein. In Upper Primary Schools, the midday meal programme has started from 17th October, 07 in 695 Educationally Backward Blocks and Forest Areas of 66 districts. Now this programme is running in upper primary schools of all blocks of the State. Improved weekly menu has been circulated. The menu provides for such a diet so as to meet the enhanced energy level and protein contents. The norms of food are as under:-

S.No.	Items	Quantity per day	
		Primary	Upper Primary
1.	Food Grains	100 gms	150 gms
2.	Pulses	20 gms	30 gms
3.	Vegetables	50 gms	75 gms
4.	Oil & Fat	5 gms	7.5 gms

The objective of the scheme is to increase enrolment, retention and the learning abilities of the beneficiaries, especially of children belonging to poor and downtrodden sections of the society, and, to provide a delicious meal to school going children. It is also visualized that such a meal would promote friendship and feelings of brotherhood among the children belonging to different caste, colour and creed.

#### 1.2 Management Structure:

In Uttar Pradesh Basic Education Department is a nodal department for running Mid-Day Meal Scheme, Which coordinates with different departments like Food Department, Food Corporation of India, Panchayati Raj Department, Health and other Departments to run smoothly Mid-Day Meal Scheme in the State. State Steering-cum-monitoring Committee has been constituted under the chairmanship of Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh which meets on Quarterly basis to discuss performance of the Scheme. Also, a full-fledged Mid-Day Meal Authority with proper staff has been constituted in 2006 to act as a Nodal body at State level for running Mid-Day Meal Scheme. District Magistrates have been designated as the Nodal Officer

of this scheme at District level. For frequent & effective supervision of MDM scheme in Schools, various MDM Task forces have been formed at District & Block level under the leadership of District Magistrate & Sub Divisional Magistrate respectively. The Task Forces comprise of officers from the Education department as well as other departments. At Divisional & District level, MDM cells have been established, in the office of Asst. Director (Basic)/District Basic Education Officer respectively. There is one Coordinator & one Computer Operator appointed on contractual basis in MDM cells. At the school level Mid Day Meal is provided mostly through Gram Panchayats in rural areas. In urban areas, the Ward Members & NGOs are responsible for providing MDM. The official (accountants and computer operators) at block level made available under SSA have been instructed to work for MDM scheme too. An innovative mechanism of IVRS based monitoring system has been deployed to take information directly from schools on daily basis. The IVRS system has been upgraded to Prerna Integrated Technical Framework which also includes online Inspections App for inspection by Task force members, demand and utilization module and audit trail for fund.

#### 1.3 Process of Plan Formulation at State & District level:

The Annual Work Plan and Budget 2021-22 has been prepared on the basis of bottom up approach. For this purpose MDM Authority made available AWP&B formats formulated by GOI to all districts. Detailed guidelines were issued to all districts for filling the AWP&B formats with the help of block and school level authority. The district level authority collected these data from block/school level. The divisional & district co-ordinators have also been trained at the workshop regarding AWP&B 2021-22 organized by mid-day meal authority. District coordinators were called at the authority to present their respective plan after which the final plan was submitted. The information of allotment of budget and food grain has taken from the sanction received from Government of India and released by state to districts. The requirement of food grains & budget for the year 2021-22 has been estimated on the basis of maximum average availing children in a quarter between the period of four quarters (Apr-Jun 2020, Jul-Sep 2020, Oct-Dec 2020 & Jan-Mar 2021) in Primary Schools and Upper Primary schools given by district authorities in prescribed formats. The number of working days expected for the year 2021-22 is 249 for PS/UPS and 310 for STC. In case of summer vacation, the number of working days in 34 for PS & UPS.

# Mid-Day Meal Programme (Annual Work Plan & Budget 2021-22)

2- Description and assessment of the programme implemented in the current year (2019-20) and proposal for next year (2021-22) with reference to :

2.3		provide not cooked meal to the school children.
2.2 2.3 2.3.1	System for cooking, serving and supervising mid-day meals in the schools  Weekly Menu – Day wise	a hurdle-free and regular flow of food grains. Instructions have been given to Districts to maintain one month buffer Stock of Food Grains in Schools.  In order to ensure the regularity and wholesomeness of meals, a group of 06 mothers of children studing in the school, has been formed and named as "Maa Samooh". These mothers are supposed to visit the respective school according to their roster and monitor the process of cooking and serving of food to the children.  Besides this, an IVR based system has been introduced to supervise the MDM programme implementation at school level on daily basis. Instructions have been given to Districts to carry out sudden spot inspections to cross-check the data collected through IVRS manually by comparing it at school level through MDM registers and also through head count of children present during checking.  A Toll-Free Number 1800-419-0102 has been circulated so that people could directly inform about any interruption to Mid-Day meal Authority.  Mobile App based Prerna Inspection & MDM Module has been launched by Hon'ble CM on 04.09.2019. Prerna Inspection & MDM module helps us to provide real time data from ground level with Geo Tagged photos of school based activity like MDM etc.  Mid day meal is prepared and served by cooks appointed by VEC in the schools. Normally the food is cooked and served in the supervision of the Principal/Teachers of the concerned school daily, but instructions have been given to the SMC/Community/Maa Samooh for supervision of the MDM. In some districts reknowned NGOs are working to provide hot cooked meal to the school children.
	Regularity and wholesomeness of mid day meals served to children; interruptions, if any and the reasons therefore problem areas for regular serving of meals and action taken to avoid interruptions in future.	In order to maintain regularity and wholesomeness of Mid Day Meals the Government of U.P. has formed District and Block level task forces under the leadership of District Magistrate and Sub Divisional Magistrate (SDM) respectively, for frequent and effective supervision of MDM scheme. This task force comprises officers from the Education department as well as from other departments also. Each member has to randomly inspect 5 schools per month and submit their report to the District Magistrate. If mid-day meal providing agency like Gram Pradhan, NGOs fails to achieve their goals, the District Magistrate is authorized to replace them by Schools Management Committee (SMC), local Self Help Groups (SHG) or other agencies. In addition to the above, the taskforces formed under SSA also inspects Mid day meal scheme. Thus the Mid day meal scheme is inspected by double taskforces.  The flow of Food Grains from FCI go-downs to the schools is monitored at District and State Level to maintain a hurdle-free and regular flow of food grains. Instructions

2.3.2	Additional Food Items provided (fruits/milk/any other items), if any from State/UT resources. Frequency of their serving along with per unit per day.	One seasonal fruit per student is regularly being served once in a week (Monday) since 04 July, 2016. State Government has sanctioned Rs. 167 Crore for this financial year 2021-22 in this regard.
2.3.3	Usage of Double Fortified Salt and Fortified Edible Oil; their availiability and constraints, if any, for procuring these items.	Adequately lodized salt and fortified edible oil is only used for cooking and this is being regularly monitored also.
2.3.4	At what level menu is being decided/fixed,	State Government has finalised the present menu as annexed in 2.3.1 with the recommendations of 12 members committee headed by Director, Mid Day Meal Authority.
2.3.5	Provision of local variation in the menu, inclusion of locally available ingredients/items in the menu as per the liking/taste of the children	The present weekly menu is based on the staple diet of the residents of Uttar Pradesh and is very practical in nature. The Evaluation Studies have also depicted that almost 90 percent children/teachers are satisfied with the present menu and demand no drastic change in it.  Also new idea/proposals were invited from the districts for the inclusion of locally available ingredients/item in menu, butalmost all the districts are satisfied with the current menu except 1-2 districts.
2.3.6	Time for serving meal.	The new school timings proposed from 1 <sup>st</sup> April, 2016 are 08.00 am to 01.00 pm. Mid day Meal would be served from 10.00 to 10.30 am. In winter school timing from 1 <sup>st</sup> of October 9:00 am to 03:00 pm. Mid day meal will be served from 12:00 to 12:30 pm.
2.4.1	Existing mechanism for release of funds up to school/implementing agency levels.	State GovtBasic Education Department  District  School Urban/Local Implementing Body/ NGO Agencies Like- FCI etc.  The state government makes budgetary provision for different objects and grants and nodal department of the state government releases financial sanctions directly to the District Collectors. The District Collectors draw funds according to their requirements from district treasuries and send directly to Madhyan Bhojan Nidhi in the schools of rural areas; and in urban areas Nagar Nigams, Nagar Palika, Nagar Panchayats, town areas, FCI and Transportation agencies etc, as the case may be. In urban areas where NGO's are in operation, the conversion cost is given to them according to the bills raised by them after verification from the education department. Honorarium to cook-cum-helper is being directly send to Cook's Bank Account. (Annexure no -2) MME fund is sent through
2.4.2	Mode of release of funds at different levels.	RTGS to districts who sent to the schools through NEFT. e-Payment/e-Transfer

2.4.3 Dates when the fund released to State Authority/Directorate/District/Block/Gram Panchayat and finally to the Cooking Agency/School.

The detail description of releases by the State Government as under;

Date		d (Rs. In Lakh)	Total
Date	Central Share	State Share	TOtal
		Cost (General)	
29.05.2020	4,545.78395	3,030.52271	7,576.3066
02.07.2020	10,673.72599	7,115.81734	17,789.5433
24.09.2020	8,459.73883	5,639.82246	14,099.5612
21.12.2020	13,631.25000	9,087.50000	22,718.7500
01.02.2021	33,292.43000	22,194.95000	55,487.3800
28.03.2021	38,123.86000	25,415.90333	63,539.7633
Total	108,726.78877	72,484.51584	181,211.3046
	Conversi	on Cost (SCP)	
29.05.2020	2,287.71243	1,525.14165	3,812.8540
02.07.2020	5,127.43352	3,418.28902	8,545.7225
01.10.2020	3,827.72253	2,551.81499	6,379.5375
29.12.2020	6,285.07000	4,190.05000	10,475.1200
28.03.2021	32,807.59000	21,871.73000	54,679.3200
Total	50,335.52848	33,557.02566	83,892.5541
	Conversi	on Cost (TSP)	
29.05.2020	62.26725	41.51150	103.7787
02.07.2020	124.99562	83.33041	208.3260
24.09.2020	104.70868	69.80579	174.5144
16.12.2020	169.43000	112.95000	282.3800
28.01.2021	391.47000	260.98000	652.4500
30.03.2021	492.97000	328.64667	821.6166
Total	1,345.84155	897.22437	2,243.0659
	Cook Cum I	Helper (General)	
29.05.2020	1,305.63360	1,958.45040	3,264.0840
02.07.2020	3,425.70060	5,138.55090	8,564.2515
24.09.2020	3,907.93157	5,861.90235	9,769.8339
01.02.2021	7,908.38007	11,862.57017	19,770.9502
Total	16,547.64584	24,821.47382	41,369.1196
	Cook Cun	Helper (SCP)	
29.05.2020	586.19160	879.28740	1,465.4790
02.07.2020	2,086.15680	3,129.23520	5,215.3920
01.10.2020	2,124.09717	3,186.14575	5,310.2429
28.03.2021	2,316.21729	3,474.32596	5,790.5432
Total	7,112.66286	10,668.99431	17,781.6571
	Cook Cun	n Helper (TSP)	
29.05.2020	16.54800	24.82200	41.3700
02.07.2020	37.82400	56.73600	94.5600
24.09.2020	48.75680	73.13520	121.8920
28.01.2021	95.15000	142.73000	237.8800
Total	198.27880	297.42320	495.7020
		ain Payment	
08.07.2020	1,365.37852		1,365.3785
14.12.2020	4,324.61915		4,324.6191
28.03.2021	8,542.95109		8,542.9510
Total	14,232.94876	MME	14,232.9487
00 07 2020		MME	020 2500
08.07.2020	829.25000		829.2500
16.12.2020	892.62000		892.6200
28.03.2021	3,480.18000		3,480.1800
Total	5,202.05000 Transpo	ertation Cost	5,202.0500
00 07 2020		rtation Cost	300 040
08.07.2020	399.94070		399.9407
14.12.2020	1,198.05160		1,198.0516
28.03.2021	2291.42706		2291.4270
Total	3,889.41936	Vitaban Caudau	3,889.4193
20.02.2024	_	Kitchen Garden)	27 5000
28.03.2021	22.50000	15.00000	37.5000
28.03.2021	1,821.22644	und (Fruit) 1,214.15092	3,035.380

**2.4.4** Reasons for delay in release of funds at different levels.

2.4.5 In case of delay in release of funds from State/Districts, how the scheme

Timely release of funds is ensured from the state level to school level through district via e-transfer mechanism.

Instructions have been issued to the implementing agencies/institutions to run the scheme from the available

	has been implemented by schools/implementing agencies.	resources, which thereafter, are reimbursed from the routine budget.
0002.4.6	Initiatives taken by the State for pre- positioning of funds with the implementing agencies in the beginning of the year, like creation of corpus funds, adoption of green channel scheme, advance release of State Share etc.	Due to the situation of COVID-19 schools are closed since March 2020. Proposal for release of of 1 <sup>st</sup> Installemnt of Cooking Cost for ~25 Days & Cooks Honorarium for 1 month.
	Time lines for lifting of food grains	Food grain is lifted in advance with respect to the
2.5.1	Time lines for lifting of food grains from FCI Depot- District wise lifting calendar of food grains.	Food grain is lifted in advance with respect to the concerned Quarter of consumption. To ensure timely lifting of Food Grains, instructions have been issued from the Department of Food and Civil Supplies that the food grains would be lifted well in advance and information regarding the block wise lifting would be made available to inspecting authorities. The fair price shop owners receive the grains from Block go-downs and make them available to Gram Pradhan/ SMC/ Ward members/ NGO/ Schools.
2.5.2	System for ensuring lifting of FAQ foodgrains (Joint inspections at the time of lifting etc.)	In order to maintain supply of quality grains as per the specification of Government of India, the Government of U.P. has issued instructions for Joint inspection of food grains by a team consisting of senior officers from FCI and Department of Education. Besides this, the provision of keeping sample of food grains allocated for MDM purposes at district and block level has been ensured, so that cross checking of quality of grains could be done during inspection.
2.5.3	Is there any incident when FAQ food grain was not provided by FCI. If so, the action taken by the State/District to get such foodgrain replaced with FAQ food grain. How the food grain of FAQ was provided to implementing agencies till replacement of inferior quality of food grain from FCI was arranged.	No such incidents reported by the districts yet.
2.5.4	System for transportation and distribution of food grains	The Food corporation of India provides grains to regional go-downs from where it is lifted and transported to Block level go-downs by two state lifting agencies i.e. Food and civil supply Department and State food and essential commodity corporation and it is then transported to Schools/Cooking agencies via fair price shops.
2.5.5	Whether unspent balance of food grains with the schools is adjusted from the allocation of the respective implementing agencies (Schools/SHGs/Centralised Kitchens) Number of implementing agencies receiving food grains at doorstep level.	Yes.
2.5.6	Storage facility at different levels in the State/ District/ Blocks/ Implementing agencies after lifting of food grains from FCI depot.	Food and civil supplies department has proper storage facilities available at various levels. All kitchen sheds constructed in Schools have attached store for storing foodgrains, but at many places due to security reasons, the foodgrain of Mid Day Meal is kept at house of Gram pradhans too.
2.5.7	System of fortification of foodgrains and their costing and logistics arrangement.	World Food Programme (WFP) organisation conducted a pilot project for one year in 2019-20. Fortification of foodgrains (both wheat and rice) in district Varanasi completely at their own expense.

2.5.8	Challenges faced and plan to overcome them.	In some schools data irregularity is found between IVRS data and physical inspection by Task Force. To overcome these irregularities we introduced Prerna Inspection & MDM module that helps us to provide real time data from ground level with Geo Tagged photos of school based activity like MDM etc.
2.6.1	System for payment of cost of food grains to FCI; whether payments made at district level or State level	The payment of cost of food grain is done by district authority (District Basic Education Officer) with the approval of District Magistrate after the verification of lifted quantity of grains. The verification of the quantity of food grain lifted from the FCI is done by the lifting agency. For tracking of Payment to FCI an online mechanism for reporting has been developed in which Online bills of cost of foodgrains uploaded by the FCI and payment are uploaded by districts level.
2.6.2	Status of pending bills of FCI of the previous year(s) and the reasons for pendency.	Bill received from FCI up to 31.03.2021 and vierified by lifting agency has been paid. The pending liabilty of Rs. 6.89 Crore of FCI payment is due to the bills raised in the last days of FY 2020-21. and will be paid this year.
2.6.3	Timelines for liquidating the pending bills of previous year(s)	As soon as the FCI present the bill payment will be done accordingly.
2.6.4	Whether meetings are held regularly in the last week of the month by the District Nodal Officers with FCI as per quidelines dated 10.02.2010 to resolve the issues relating to lifting, quality of food grains and payment of bills.	Yes No matter is pending.
2.6.5	Whether the District Nodal Officers are submitting the report of such meeting to State Head quarter by 7 <sup>th</sup> of next month.	Not required.
2.6.6	The process of reconciliation of payment with the concerned offices of FCI.	To improve coordination among different agencies and for proper reconciliation of payment of Cost of Food Grain, a web based system has been developed and login facility has been given to FCI. So that the bills raised by them against the lifted quantity of food grains could be immediately uploaded and viewed by all. Timely payment is made accordingly and updated on the portal, which will remain visible to all stakeholders.
2.6.7	Relevant issues regarding payment to FCI.	For better coordination at district level, directions have been issued for monthly meeting of FCI and MDM officials.
2.6.8	Whether there is any delay in payment of cost of food grains to FCI and steps taken to overcome the delay.	Timely release of funds is ensured from the state level to district level through e-transfer mechanism.
2.7.1	Whether the State follows the norms prescribed by MHRD for the engagement of cook-cum-helpers or it has its own norms.	Yes, we are following Gol Norms
2.7.2	In case, the State follows different norms, the details of norms followed may be indicated.	The detailed guidelines for appointment of cooks have been provided to district authority by State Government which is annexed as <b>Annexure-3</b>
2.7.3	Is there any difference in the number of cook-cum-helpers eligible for engagement as per norms and CCH actually engaged.	Due to non-availability of CCH in some schools the figure may be slightly differ as per norms. The detailed guidelines for appointment of cooks has been provided to district authority by State Government which is annexed. The government of india had approved a number of 3,90,574 cook-cum-helpers in 2020-21. Due to Covid-19 no new cook has been appointed. Total engaged no. of cooks

		during 2020-21 remain 3,74,877 as reported in 4 <sup>th</sup> Quarter of 2020-21.
2.7.4	System and mode of payment of honorarium, of honorarium to cook-cum-helpers and implementing agencies viz. NGOs / SHGs / Trust / Centralized kitchens etc.	The mid-day meal programme is implemented by Gram Panchayat / NGO/SHG. Honorarium to cook-cumhelper is being directly send to Cook's Bank Account since April 2019 through e-payment.
2.7.5	Whether the CCH were paid on monthly basis.	Yes
2.7.6	Whether there was any instance regarding irregular payment of honorarium to cook-cumhelpers and reason thereof. Measures taken to rectify the problem.	Honorarium to cook-cum-helper is being directly sent to Cook's Bank Account since April 2019 through e-payment.
2.7.7	Rate of honorarium to cook-cum- helpers.	An honorarium of Rs. 1000/- per cook per month (for 10 months) is being paid to cook-cum-helpers. In addition to this State Govt. has decided to add Rs. 500/- as State Share as honorarium cook-cum-helper from April, 2019. Total Rs. 1500/- is being paid to CCH per month directly to their bank account on monthly basis.
2.7.8	Number of cook-cum-helpers having bank accounts.	All
2.7.9	Number of cook-cum-helpers receiving honorarium through their bank accounts.	Honorarium to cook-cum-helper is being directly sent to Cook's Bank Account since April 2019 through e-payment.
2.7.10	Provisions for health check-ups of Cook-cum-Helpers.	
2.7.11	Whether cook-cum-helpers are wearing head gears and gloves at the time of cooking of meals.	During 2020-21 @Rs. 400/- per cook, the funds have been released to the districts to provide apron and gloves to the cooks.
2.7.12	Modalities for apportionment of cook- cum-helpers engaged at school level and working at centralized kitchens, in case of schools being served through centralized kitchens.	The detailed guidelines for appointment of cooks have been provided to district authority by State Government which is annexed as <b>Annexure-3</b>
2.7.13	Mechanism adopted for the training of cook cum helpers. Total number of trained cook cum helpers engaged in the cooking of MDMs. Details of the training modules; Number of Master Trainers available in the State; Number of trainings organized by the Master Trainers for training cook-cum-helpers.	Detailed Guidelines for training of Cook-Cum-Helpers have already been prepared and a revised video film has also been developed by the Authority.  An exhaustive plan for the training of all cook-cum-helper has been developed at block level by food expert along with the video film.  The training programme will start after the lockdown gets over and social distancing get relaxed.
2.7.14	Whether any steps have been taken to enroll cook-cum-helpers under any social security schemes i.e Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana etc. and number of cooks benefitted through the same.	Yes Instructions dated 01-03-2019 have been issued to all the district authorities to enroll cook-cum-helpers under Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana.  Annexure-4
2.8		
2.8.1	System for procuring good quality (pulses, vegetables including leafy ones, salt, condiments, oil etc. and other commodities.	The onus of procuring cooking ingredients is on Gram Pradhan and SMC/Local Self Help Group /Mahila Samakhya in rural areas and on Sabhasads (member of the local body institutions) in urban areas.  Where NGOs are the service providers, they arrange for it.

2.8.2	Whether pulses are being procured from NAFED or otherwise.	NAFED could not able to supply pulses as per norms to MDM delivery points (i.e our Schools). Pulses are procured at local level as per MDM guidelines of Gol.
2.8.3	Whether First In and First Out (FIFO) method has been adopted for using mdm ingredients such as pulses, oil / fats, condiments salt etc or not.	Pulses and condiments etc. are procured in limited quantities and thus they are utilized in FIFO method only.
2.8.4	Arrangements for safe storage of ingredients and condiments in kitchens.	salt and condiments in airtight containers at a safe and clean place. These containers are procured from the amount of Rs. 5000/- released by the Government of India under the kitchen devices head.
2.8.5	Steps taken to ensure implementation of guidelines dated 13.02.2015 on food safety and hygiene in school level kitchens under Mid Day Meal Scheme.	Detailed instructions via G.O. dated 25.07.2013 have already been issued by the Government in this regard.  Annexure-5
2.8.6	Information regarding dissemination of the guidelines up-to school level.	Yes
2.9	Type of Fuel used for cooking of Mid Day Meals – LPG, smokeless chulha, firewood etc.	Smokeless cooking is mainly preferred for cooking of midday meals. LPG based cooking is present in 1,33,306 schools.
2.9.1	Number of schools using LPG for cooking MDM	Smokeless cooking is mainly preferred for cooking of mid-day meals. LPG based cooking is present in 1,33,306 schools.
2.9.2	Steps taken by State to provide LPG as fuel in MDM in all schools.	State Government released an amount of Rs. 1784.26 Lacs in the F.Y. 2017-18 and Rs. 213.17 lac released in 2019-20 for providing LPG Connections in remaining schools covered under the scheme. LPG based cooking is present in 1,33,306 schools.
2.9.3	Expected date by which LPG would be provided in all schools.	All schools are now covered with LPG based cooking.
2.10	·	
2.10.1	Procedure for construction of kitchen- cum-store.	Under MDM Programme, Kitchen Sheds are constructed in the school by the fund released in phased manner by GOI since 2006-07. Till March 2021, A total of <b>1,13,103</b> kitchen sheds have been constructed.
2.10.2	Whether any standardized model of kitchen cum stores is used for construction.	Design for kitchen cum store has been developed by mid-day meal authority according to GOI norms.
2.10.3	Details of the construction agency and role of community in this work.	The kitchen-shed were constructed in a decentralized manner by VECs.
<b>2.1</b> 0. <b>4</b>	Kitchen cum stores constructed through convergence, if any	19,160
2.10.5	Progress of construction of kitchen- cum-stores and target for the next year.	1,13,103 kitchen-cum-stores have been completed till now and 299 kitchen cum stores are yet to be constructed.
2.10.6	The reasons for slow pace construction of kitchen cum stores, if applicable	142439 schools are benifitted by Mid Day Meal in the State of U.P. 8233 Schools are Govt. Aided. U.P. Govt. has decided not to provide kitchen-cum-store to aided schools. Out of Remaining 134206 Schools, 113103 have already constructed kitch-cum-store. 19160 schools have kitchen-cum-store through convergence. The Balance requirement of 1943 Schools has been calculated. All districts have been asked to Provide requirements for kitchen-cum-store where space is available in the schools.

		Districts have reported the requirement of 1306 kitchen-
		cum-store.
		The verification is in the process, after completion of verification demand will be submitted to GoI.
2.10.7	How much interest has been earned on the unutilized central assistance lying in the bank account of the State/implementing agencies.	No interest has been recieved. Since the fund has been operated through treasary account for which if we have asked for Single Nodal Agency, only after that interest will be arised.
2.10.8	Details of kitchen cum stores constructed in convergence. Details of the agency engaged for the construction of these kitchen cum stores.	19,160, From SSA
2.11		
2.11.1	Procedure of procurement of kitchen devices from funds released under the Mid Day Meal Programme	Kitchen devices have been made available to 3,27,278 (1,82,875 procurement and 144403 replacement) schools from the funds released under MDM Programme. A sum of Rs 5,000 (Five Thousand) was put at the disposal of schools to procure cooking utensils and arrange for gas based cooking. The kitchen devices are procured in a decentralized manner by VECs.
2.11.2	Status of procurement of kitchen devices	Kitchen devices have been procured in all schools.
2.11.3	Procurement of kitchen devices through convergence.or community/CSR	In District G.B. Nagar, Kitchen Devices in 15 Schools procured through convergence.
2.11.4	Availability of eating plates in the schools. Source of procurement of eating plates.	For ensuring the uniform distribution of mid day meal to students with dignity, the Government of Uttar Pradesh has provided a good quality stainless steel Thali and stainless steel gilaas to one Crore students in the schools under mid day meal scheme.
2.12		
2.12.1	Inter-district low and uneven utilization of food grains and cooking cost	In the previouse years utilization were recieved from the districts as per the actual attendence observed in the DMS, inspections and so on. Accordingly foodgrain & amount were utilized. In 2020-21 large part of the fund transferred based on enrollment rather that attendence so this issue is not pertaining. But in the coming years because of operation kayakalp and mid day meal utilities distribution and otherinitiative taken by the state like "Mission Prerna" we would have more attandence in the schools and regular interventions is being implemented to ensure there is higher attendance and higher utilization of foodgrain and cooking cost.
2.12.2	Intra-district mismatch in utilization of food grains and cooking cost.	The could be difference between blocks in terms of utilization in different schools depending on the local factors of enrollment, attendence, teacher effort, prevelence of privete schools geographical, social economic indicators and so on. However through "Prerna Technical Framework" we are monitoring the demand and utilization through an online module.
2.12.3	Mismatch of data reported through various sources (QPR, AWP&B, MIS etc)	There is no such issue of mismatch of data in QPR & AWP&B.

2.13		
2.13.1	System of Tasting of food by teachers/community. Maintenance of tasting register at school level.	Instructions have been issued for the food to be tasted by the teachers/Gram Pradhan and one or two of the parent, and when they certify that the food is palatable, delicious and harmless food is to be given to the children. Daily record of tasting of food by teachers/cook/community is maintained in Mid day meal register itself.  The MDM is served tasting it by teacher & cook.
2.13.2	Maintenance of roster of parents, community for the presence of atleast two parents in the school on each day at the time of serving and tasting of mid day meal.	Instructions have been issued for maintenance of roster of presence of at least two parents in the school at the time of serving and tasting of mid day meal. The mid day meal Register itself contains a column in this regard, which is regularly being signed by the parents tasting the meal. "MAA Samuh" have also been created in all schools, under which a group of 6 mothers is formed and they regularly visit the schools according to their roaster and superwise the food being cooked and served to the students.
2.13.3	Testing of food sample by any recognized labs for prescribed nutrients and presence of contaminants such as microbes, ecoli. Mechanism to check the temperature of the cooked MDM.	Since the inception of the scheme, the instructions have been issued to the District Magistrates to direct the Food Inspectors working in the districts to randomly pick the cooked food samples from the school and check them in laboratory for its quality. Testing of food samples is regularly being done by the food safety officers at district level as per instructions issued by Government vide G.O. Dated 08th April, 2015 and Circular dated 20th October, 2015 by MDMA.
2.13.4	Engagement of recognized labs for the testing of Meals.	There are 05 functional FDA laboratories in UP in Lucknow, Varanasi, Agra, Gorakhpur and Meerut. The samples collected by the Food Safety Officers are tested in these FDA laboratories.
2.13.5	Details of protocol for testing of Meals, frequency of lifting and testing of samples.	Instructions have been issued to pick atleast four samples in a month in each district by the concerned food safety officers.
2.13.6	Details of samples taken for testing and the results thereof.	The Schools were closed due to Covid-19 during 2020-21.
2.13.7	Steps taken to ensure implementation of guidelines issued with regard to quality of food.	G.O. dated 25.07.13 Contains detailed instructions to ensure that quality food is being served to the students. Cooks have been once trained in year 2016. A fresh training programme of cooks will be organized as soon as the lockdown gets over. A new training film has been developed in this regard. WFP organization has provided an App named FoSaFMDM which is made for training of cooks in a phasewise manner. It contains 09 modules and certificate after completion of all 09 modules.
2.14		
2.14.1	Modalities for engagement of NGOs/ Trusts/ Temples/ Gurudwara/ Jails etc. for serving of MDM through centralized kitchen.	NGOs are engaged mostly in urban areas. Civic Bodies have been entrusted with the task of supplying cooked meals in urban areas. The NGOs are selected by the district authorities. State Govt. has allowed Akshaya Patra Foundation in 12 districts to provide Mid Day Meal in selected Urban as well as Rural Areas. NGO wise detail has been provided in action plan Table AT-20.
2.14.2	Whether NGOs/ Trusts/ Temples/ Gurudwara/ Jails etc. are serving meal in rural areas	Same as above
2.14.3	Maximum distance and time taken for delivery of food from centralized kitchen and schools.	The maximum distance covered is 50 to 60 km and the maximum time taken is one and half hour.
2.14.4	Measures taken to ensure delivery of hot cooked meals to schools.	Detailed guidelines dated 13.08.15 have been issued for selection of NGOs at district level. Instructions regarding

		timely supply of hot and fresh cooked mid day meal have
2.14.5	Responsibility of receiving cooked meals at the schools from the centralized kitchen.	been issued to the districts.  Teacher is responsible for receiving and supervision of serving of cooked meal in the schools receiving meals from the centralized kitchen.
2.14.6	Whether sealed/ insulated containers are used for supply of meals to schools.	Yes
2.14.7	Tentative time of delivery of meals at schools from centralized kitchen.	The instructions have been issued by the authority to the District Magistrate to ensure that the NGOs make such arrangements that hot and fresh cooked meal is served to the children. <b>Annexure-6</b>
2.14.8	Availability of weighing machines for weighing the cooked MDM at school level prepared at centralized kitchen.	Yes
2.14.9	Testing of food samples at centralized kitchens.	Since the inception of the scheme, the instructions have been issued to the District Magistrates to direct the Food Safety Officers working in the districts to randomly pick the cooked food samples from the school as well as and check them in laboratory for its quality.
2.14.10	Whether NGOs/ Trusts/ Temples/ Gurudwara/ Jails etc. are receiving grant from other organizations for the mid day meal. If so, the details thereof.	NA .
2.15		
2.15.1	Display of logo, entitlement of children and other information at a prominent visible place in school.	children and the MDM logo is permanently displayed by painting them on school walls. The information on conversion cost and food grains available to schools for that month is also painted.  Funds have been released to all schools to ensure the same in F.Y. 2019-20.
2.15.2	Dissemination of information through MDM website	All the general information regarding the scheme, weekly menu, guidelines and Government Orders, Audio Video jingles and a film (POSHANA) on cooks training with the help of UNICEF are uploaded on the website which is www.upmdm.org.
2.15.3	Provisions for community monitoring at school level i.e. Mother Roaster, Inspection register.	To ensure community participation in the scheme, "Mata Abhibhavak Sanghs" have been formed in the schools, so that they can supervise the cooking process and taste the food also.  To ensure good quality of food being served to children in schools, it is mandatory that the cooks engaged for cooking mid day meal in school should be the parent of any child studying in that school.  A Toll-Free Number 1800-419-0102 has been circulated so that people could directly inform about any interruption to Mid-Day meal Authority.  School Management Committee (SMCs) have been constituted under the RTE rules and are being involved in the monitoring of the scheme.  "MAA Samuh" have also been created in all schools, under which a group of 6 mothers is formed and they regularly visit the schools according to their roaster and superwise the food being cooked and served to the

		students.
2.15.4	Tasting of meals by community members.	Instructions have been issued for the food to be tasted by the teachers/Gram Pradhan and one or two of the parent, and when they certify that the food is palatable, delicious and harmless it is to be given to the children.
2.15.5		
2.15.5.1	Whether social audit has been carried out or not?	Yes, in Feb 2020 in 15 Districts.  The Schools were closed due to Covid-19 during 2020-21.  No such activity that required mass gathering were not conducted during 2020-21.  Proposal for conducting social audit in 200 schools in each District has been prepared for 2021 if covid-19 restrictions get relaxed.  Major Findings of 2019-20 Social Audit — Social Audit has recommended the following findings to be improved for the better implementation of the scheme.  1. Training of Cook-cum-helper 2. Establishment of Kitchen Garden 3. Activation of MAA Samuh 4. Appontment of Guard & Sweeper 5. Increasing the participation of SMC.  Training through "POSHANA" Film has been continuously completed to all CCH in every schools of the State. A Major training schedule had been prepared for half day training with SMC Members in convergence with SSA. Fund for establishment of Kitchen Garden has been provided to all districts in 2020-21 for 10 Schools per districts. Govt. of U.P. has rejected the proposal of appointment of Sweeper-cum-guard in Schools. "MAA Samuh" will be activated after the normalization of covid-19 pandemic conditions.
2.15.5.2	If no in 2.15.5.1, reason there of	NA
2.15.5.3	Details of action taken by the State on the findings of social audit	The Schools were closed due to Covid-19 during 2020-21. No Action Taken.
2.15.5.4	Impact of social audit in the schools	As above.
2.15.5.5	Action plan for social audit during 2021-22	Proposal for conducting social audit in 200 schools in each District has been prepared for 2021 if covid-19 restrictions get relaxed.
2.16		
2.16.1	Details of the training programme conducted for State level officials, SMC members, school teachers and other stakeholders  Details about Modules used for	An exhaustive training programme for chairman & vice chairman of SMC with the Cook of all the schools has been planned at block level through SSA. It will be started after lockdown is over. State level officers and other stakeholders will be directed to participate in the training programme.  Revised Audio-visual aid (short film "Poshana")
	training, Master Trainers, Venues etc.	Revised Audio-visual aid (short ilim Poshana )
2.16.3	Targets for the next year.	<ul> <li>Training programmes for cook-cum-helper and SMC/VEC at Block level.</li> <li>Capacity building of BEOs/BSAs/A.O.s at State level.</li> <li>Cross visits of other States by State Level Officers.</li> </ul>
2.17		
2.17.1	Procedure followed for data entry into MDM-MIS Web portal	One computer operator along with the co-ordinator are available at district level who are responsible for data entry into the MDM-MIS web portal.  Districts have been instruted to complete the MIS data

		entry of 2020-21 till 30 <sup>th</sup> June, 2021.
2.17.2	Level (State/ District/ Block/ School) at which data entry is made	District/Block Level
2.17.3	Availability of manpower for web based MIS	Only one computer operator at district level is available.
2.17.4	Mechanism for ensuring timely data entry and quality of data	Instructions have been issued to the district authorities for the timely MIS data entry.
2.17.5	Whether MIS data is being used for monitoring purpose and details thereof.	In parallel with I.V.R.S. for monitoring of MDM scheme Mobile App based Prerna Inspection & MDM Module has been started on 04.09.2019.  A number of activities is being introduced with the IVR System for monitoring of Infrastructure, Geo-Tagged Inspections including mid-day meal inspection, learning outcome, attendance of teachers/students with geo-tagged photos etc for SSA therefore 50% cost is shared by SSA.
2.18.1	Status of implementation of AMS	Automated Monitoring System (AMS) has been
	·	implemented in the State since August 2016.
2.18.2	Mode of collection of data under AMS (SMS/IVRS/Mobile App/Web enabled)	IVRS/ Prerna Integrated Technical Framework
2.18.3	Tentative unit cost for collection of data.	Rs. 1.35 (Include Meal Data, Milk Data, Fruit Data and Reason data if not serving MDM) per data received per day.  A number of activities is being introduced with the IVR System for monitoring of Infrastructure, Geo-Tagged Inspections including mid-day meal inspection, learning outcome, attendance of teachers/students with geo-tagged photos etc for SSA therefore 50% cost is shared by SSA.
2.18.4	Mechanism for ensuring timely submission of information by schools	An automated IVR call is send to school on a working day to collect the data of number of student having meals on that day just after meal has been served. Schools were closed in 2020-21 due to Covid-19. Heance no data recieved.
2.18.5	Whether the information under AMS is got validated.	Number of meals served collected from school through IVRS is uploaded on the AMS portal. Schools were closed in 2020-21 due to Covid-19. Heance no data uploaded.
2.18.6	Whether AMS data is being used for monitoring purpose and details thereof.	IVRS is being used for collecting data for monitoring purpose with reason if not serving MDM. Daily data collected from the IVRS is being uploaded on AMS portal on daily basis.  Schools were closed in 2020-21 due to Covid-19. Heance no data uploaded.
2.18.7	In case, AMS has not been rolled out, the reasons therefor may be indicated alongwith the time lines by which it would be rolled out.	N/A
2.19	by State/UTs and summary of its findings. Details of Evaluation studies conducted	No
2.20	Case Studies/ Write up on best/ innovative practices followed in the State alongwith some high resolution photographs of these best / innovative practices.	<ul> <li>Under the mid day meal scheme to provide additional nutritional support to the students on every Wednesday the students are given 150 ml. milk in primary and 200 ml. milk for upper primary from 15<sup>th</sup> July, 2015 through revised menu.</li> <li>To provide the additional nutritional element to the students, fresh and seasonal fruits are being distributed</li> </ul>

		among students weekly
		<ul> <li>among students weekly.</li> <li>For ensuring the uniform distribution of mid day meal to students with dignity, the Government of Uttar Pradesh has provided a good quality stainless steel Thali and stainless steel gilaas to one Crore students in the schools under mid day meal scheme.</li> <li>The mid day meal register has been distributed to all the schools covered under the mid day meal scheme. Personal hygiene and hand washing and all related issues of mid day meal have been described in the mdm register.</li> <li>For the training of Cook-cum-helpers regarding Hygiene, Safety, Nutrition and equality, Two short films have been developed.</li> <li>"MAA Samuh" have also been created in all schools, under which a group of 6 mothers is formed and they regularly visit the schools according to their roaster and superwise the food being cooked and served to the students.</li> </ul>
		➤ Kitchen Garden have seen developed in the 10557 Schools with the initiative of district administration. And Funds for Total 750 Kitchen Garden has been released in 2020-21, 10 for each districts @Rs. 5000.
2.21		
2.21.1	Instances of unhygienic food served, children falling ill	No such instance has occurred in the last year in which children would have fallen ill after consuming unhygienic food.
2.21.2	Sub-standard supplies.	
2.21.3	Diversion/ misuse of resources.	
2.21.4	Social discrimination.	
2.21.5	Action taken and safety measures adopted to avoid recurrence of such incidents. Whether Emergency Plan exists to tackle any untoward incident.	A contingency plan dated 15 December, 2014 already exists in the State. <u>Annexed-7</u>
2.22		
2.22.1	Provision of micro- nutrients, deworming medicine, Iron and Folic acid (WIFS).  Distribution of spectacles to children with refractive error,	The school health programme popularly known as "Aashirwad School Health Programme" was being conducted by Health Department under National Rural Health Mission in 70 pre decided primary schools of each block of the State till 2011-12. In 2012-13 this programme was converted into "Ashirwad" – Bal Swasthya Guarantee Scheme" which is now renamed as "Rashtriya Baal Swasthya Karyakram" (RBSK). In this programme, all children between the age group 2-18 years, be they be school going or non school going are covered under this scheme. Under this programme, general health checkup, eye checkup, recording of height and weight, distribution of iron and folic acid tablets as well as deworming tablets and refferal of seriously ill children to health centres is being done by the health professionals. This programme is conducted twice in a year.  Distribution of spectacles is done under National Programme of control of blindness under Health
		Department of U.P. Due to closure of schools for the whole year due to covid019 pandemic, this programe could not be conducted.
2.22.3	Recording of height, weight etc.	NA

2.22.4	Number of visits made by the RBSK	NA
	team for the health check- up of the children. (Please ensure to upload	
	atleast two photographs of the visit of	
	the medical team in each school on	
2.23	MDM-MIS portal.)  Present monitoring structure at	State Steering-cum-monitoring Committee has been
2.20	various levels. Strategy for	constituted under the chairmanship of Chief Secretary,
	establishment of monitoring cell at various levels viz. Block, District and	Govt. of Uttar Pradesh which meets on Quarterly basis to discuss performance of the Scheme. For frequent &
	State level for effective monitoring of	effective supervision of MDM scheme in Schools, various
	the scheme.	MDM Task forces have been formed at District & Block
		level under the leadership of District Magistrate & Sub Divisional Magistrate respectively. The Task Forces
		comprise of officers from the Education department as well
		as other departments. The members of Task Force have to inspect 5 schools per month & submit their report in
		monthly task force meeting. State level officers of Mid Day
		Meal Authority also visit & inspect the programme every month in various district of State. State Level Task Force is
		formed every year comprising Officers of different
		departments to inspect Mid-Day Meal Scheme in Schools of various Districts.
		In addition with IVRS Based monitoring System
		Mobile App based Prerna Inspection & MDM Module has been started on 04.09.2019. A number of activities is
		being introduced with the IVR System for monitoring of
		Infrastructure, Geo-Tagged Inspections including mid-day meal inspection, learning outcome, attendance of
		teachers/students with geo-tagged photos etc for SSA
2.24		therefore 50% cost is shared by SSA.
	Number of mastings hald at various	Assembling to C.O. detect 20th Merch 2006 Direction for
2.24.1	Number of meetings held at various level and gist of the issues discussed	According to G.O. dated 29 <sup>th</sup> March, 2006, Direction for Every month meeting to be held on district and block level
	in the meeting,	officer's task force. These inspections reports submitted to
2.24.2	Action taken on the decisions taken	Chairman of the Task force for necessary action.  Observation find during these meetings, District Magistrate
	during these meetings.	and Sub divisional Magistrate (Chairman) takes necessary
		action in their fields for effective monitoring of Mid-day meal scheme.
2.25	Frequency of meeting of District	Instructions for regular meetings of District Vigilance and
	Level Committee held under the chairmanship of senior most MP of	Monitoring Committees under chairmanship of senior most MP of the District have been issued by Chief Secretary,
	the District to monitor the scheme.	Govt. of Uttar Pradesh.
	Gist of the issues discussed and action taken thereon.	This year 154 meeting held by MP and 585 meetings held by District Magistrate.
2.26	Arrangement for official	Widespread inspections have been done in the state
	inspections to MDM centres/schools and percentage of	by the departmental/other officers along with the district and block level officers. Total 2.0 Lac inspections has been
	schools inspected and summary of	done upto Mar 2021 in 2020-21. The district magistrates
	findings and remedial measures taken.	have been authorized to replace the functionaries at school level by School Management Committees (SMCs),
	tangii.	local SHGs etc., should they be find them deficient in their
		services. The State Government also sends the officers
		from state level for the inspection of MDM Programme at school level.
2.27	Details of the Contingency Plan to	A detailed Contingency Plan has been issued by the
	avoid any untoward incident.  Printing of important phone	Government issuing directions to the District Magistrates of all districts of the state to make necessary preparations at
	numbers (eg. Primary health	the school level to avoid any untoward happening as well
	center, Hospital, Fire brigade etc) on the walls of school building.	as to immediately take necessary steps if in case any mishap takes place in the school. Circular dated 03rd

		september, 2013 issued by MDMA & Government Order dated 15 December, 2014 is enclosed as <b>Annexure-7</b> .
2.28		
2.28.1	Details regarding Grievance Redressal at all levels.	On any Grievance received from any sources, MDM Authority obtains the report form district level. After scrutinizing that report, authority instructs the district level administration for taking remedial action. In many cases, the grievances are solved at district/block level by district/block authorities. For this purpose a Toll Free Number 1800-4190-102 is also established at Mid Day Meal Authority.
2.28.2	Details of complaints received i.e.  Nature of complaints etc.	Any complaint received on Toll Free Number 1800-4190-102 is being noted and immediate instructions are given to the district authority for disposal of complaints.  Necessary actions are taken by the district authorities to stop the interruptions caused in regular supply of Mid day Meal and accordingly the issues are addressed.  The Schools were closed due to Covid-19 during 2020-21. 688 Complaints has been recieved during the year 2020-21 and all has been resolved by district authorities.
2.28.3	Time schedule for disposal of complaints.	Immediate instructions are given to the district authority for disposal of complaints.
2.28.4	Details of action taken on the complaints.	Necessary actions are taken by the district authorities to stop the interruptions caused in regular supply of Mid day Meal and accordingly the issues are addressed.
2.29	Details regarding Awareness Generation & Information, Education and Communication (IEC) activities and Media campaign, carried out at State/district/block/school level.	For publicity of Mid Day Meal Scheme Scheme as well as other Basic Education Scheme Nukkad Natak Agencies, LED VAN Agencies, Hordings, Posters, Leaflets etc have been finalized and the content has also been created, which will soon start their campaign as soon as the lockdown gets over. Radio Jingles & Videos have been created which are aired or telecasted on different Radio T. V. Channels respectively from time to time
2.30	Overall assessment of the manner in which implementation of the programme is contributing to the programme objectives and an analysis of strengths and weaknesses of the programme implementation.	Radio/T.V. Channels respectively from time to time.  The mid-day meal programme started in the State to achieve the following objectives:-  1- To provide the nutritious mid-day meal to all students of Govt. / Local body / Govt. Aided Schools / Madarasas.  2- To develop the learning level of students.  3- To increase the enrolment of students.  4- To encourage the students to attend the school more regularly and decrease the dropout rate.  5- To break caste barriers and foster a sense of social equality amongs school children.  Now the people at large are aware of the programme. It has been successful in breaking social inhibitions as children from different caste sit together to eat.  To achieve the above goals, mid-day meal authority has developed Online Reporting Systems on prescribed proforma. The mid-day meal authority is being equipped with a strong MIS Cell & Prerna Portal System.
2.31	Action Plan for ensuring enrolment of all school children under Adhaar before the stipulated date.	Basic Education Department of U.P. has issue 02 AADHAAR machines for every block to complete the 100% AADHAAR enrollment. Till date 1,54,07,306 students have enrolled with AADHAAR.
2.32	Contribution by community in the form of Tithi Bhojan or any other similar practices in the State/ UT etc.	Community has donated eating plates, R.O. purifier etc in some districts. Keeping in mind the sensitiveness of the scheme and health issues of children, the state, somehow, does not accept pre cooked food from the community.
2.33	Kitchen gardens	

2.33.1	Status of availability of kitchen gardens in the schools. (Please furnish school wise details for all districts in the table given at Annexure-W1.)	As per information received from the Districts in AWP&B 2021-22 10,557 schools have maintained Kitchen Garden and 2845 kitchen garden are in progress to setup. 15,000 schools (Primary Govt. & Local Bodies) are proposed for developing Kitchen Garden in 2021-22.
2.33.2	Mapping of schools with the corresponding Krishi Vigyan Kendras (KVK)	
2.33.3	Details of the mechanisms adopted for the setting up and Maintenance of kitchen gardens.	G.O. Dated 06.11.2019 <b>Annexure-8</b> have been issued to districts regarding development of kitchen gardens in convergence with the different related departments.
2.33.4	Whether the produce of these kitchen gardens is used in MDM.	Yes
2.33.5	Action plan for setting up of kitchen gardens in all schools.	15,000 schools are being proposed for setting of kitchen garden F.Y. 2021-22.
2.34	Details of action taken to operationalize the MDM Rules, 2015.	Under process.
2.35	Details of payment of Food Security Allowances and its mechanism.	<ul> <li>1- Food grains have been distributed to the parents through ration shops. An authority letter was issued to the parents by the school principals which contained all relevant details like student name, parent name, quantity of food grain, name of ration shop etc. Parents had to collect the food grain from the ration shop as mentioned in the authority letters.</li> <li>2- Cooking cost was transfered directly to the bank account of student or their parents through RTGS/NEFT via schools.</li> </ul>
2.36		
2.36.1	Wheather cooking competitions have been organised at different levels in 2019-20.	Due to closure of schools last year no activity which involved get togather were conducted last year.
2.36.2	If yes, in 2.36.1	NA
2.36.2.1	The no. of participants in these competitions	NA
2.36.2.2	Details of judges	NA
2.36.2.3	How many participants were awarded	NA
2.36.2.4	Was the awarded participants given any cash prizes	NA
2.36.2.5	Wheather the awarded recipes have been shared with schools	NA
2.36.3	Details of action plan for year 2021-22	Proposal for conducting cooking competition in 2021-22 has been prepared. They will be conducted if lockdown gets over.
2.37	Details of minor modifications from the existing guidelines carried out by District Level Committee chaired by the District Magistrate.	No Modification
2.38 Intervention-		
2.38.1	Background Note	As per information received from the Districts in AWP&B 2021-22 9118 schools have maintained Kitchen Garden and 15,000 schools (Primary Govt. & Local Bodies) are proposed for developing Kitchen Garden in 2021-22.
2.38.2	Objectives	<ol> <li>To promote the availablity of fresh and nutritive vegetables easily.</li> <li>To inculcate the habit of participation and ownership in children.</li> <li>To lessen the burden on conversion cost.</li> </ol>

		4- To enhance the nutritional status of children.
2.38.3	Rationale for the intervention	
2.38.4	Time lines	up to 31 <sup>st</sup> March 2022
2.38.5	Coverage	15,000 Schools
2.38.5.1	Number of Districts	75
2.38.5.2	Number of schools	15,000 Schools
2.38.5.3	Number of children	
2.38.5.4	Number of Working Days	
2.38.6	Requirement of Funds	Rs.750 Lac ( Rs.450 Lac Central share + Rs.300 Lac State share ).
2.38.7	Monitoring	Kitchen garden shall be developed in convergance with MNREGA, the districts have been instructed to present the monthly progress to the authority along with photographs.
2.38.8	Outcome Measurement	monany progress to the dutitionty diong with photographic.
2.38.9	Impact Assessment	
2.39	Details about provision of Food Sector COVID Pandemic	urity Allowance during closure of schools on account of
Intervention- 2		
2.39.1	Methodology adopted for distribution of Food Security Allowance	<ol> <li>Food grains have been distributed to the parents through ration shops. An authority letter was issued to the parents by the school principals which contained all relevant details like student name, parent name, quantity of food grain, name of ration shop etc. Parents had to collect the food grain from the ration shop as mentioned in the authority letters.</li> <li>Cooking cost was transfered directly to the bank account of student or their parents through RTGS/NEFT via schools.</li> <li>FSA distributed in 3 phases 24.03.2020 to 30.06.2020 (76 Days), 01.07.2020 to 31.08.2020 (49 Days), 01.09.2020 to 28.02.2021 (138 Days in PS) &amp; 01.09.2020 to 09.02.2021 (124 Days in UPS).</li> <li>Schools are closed again since 24.03.2021 due to Covid-19, FSA for that period will have to be provided this year.</li> </ol>
2.39.2	Mechanism followed for management and monitoring	Online "Prerna Portal" has been developed in which every schools has to upload the studentwise details of districbuted foodgrain and cooking to the students. A login access of portal has also been provided at State/District/Block Level to monitor the Status. Online Utilization module has also been developed for every schools to upload ulitzation certificate for the FSA distribution.
2.39.3	Items provided as Food Security Allowance	Foodgrain (RICE & WHEAT), Cooking Cost.
2.40	Detailed MME plan alongwith Annual Work Plan of activities to be undertaken thereunder.	Annexure-9
2.41	Any other issues and Suggestions.	<ol> <li>Honorarium of Cook-cum-Helper should be increased up to Rs. 3000.00 per month &amp; should be given for 12 months.</li> <li>Provision should be made for Insurance of CCH, during working hours in schools.</li> </ol>
2.42 Flexi	Fund Proposals	

2.42.1	Kitchen Garden		200 Schools in each districts i.e. Total 15,000 schools are being proposed for setting of kitchen garden in F.Y. 2021-22 Fund Required- 15,000 x 5,000 = Rs. 7,50,00,000/-(C.A. of Rs. 4.5 Cr. & State Share of Rs. 3.0 Cr.) is required.
2.42.2	Supplementary aspirational districts	Nutrition in	Supplementary nutrition for Aspirational Districts of BAHRAICH, BALRAMPUR, CHANDAULI, CHITRAKOOT, FATEHPUR, SHRAWASTI, SIDDHARTHNAGAR, SONBHADRA. It can be any one out of Besan ka halwa/Suji Halwa/Aata Halwa/Upma/Namkeen Daliya with vegetables/Besan ka chilla/Paratha/Boiled Salted Chana/Roasted Chana with Jaggery for about 177 days @ rs. 4.00 per child per day.

	मिड—	डे मील योजना साप्ता	हिक आहार तालिका (मेनू	)
दिन	नवीन मेनू	व्यंजन का प्रकार		। 100 बच्चों हेतु वांछित
सोमवार	रोटी—सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताजा मौसमी फल	की बड़ी यक्त	सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1 कि०ग्रा० तथा सब्जी 5 किग्रा०, तेल/घी 500 ग्राम	सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1.5 कि0ग्रा0
मंगलवार	चावल—दाल	चावल एवं दाल यथा– चना / अरहर / अन्य दाल	10 कि0ग्रा0, तेल/घी	
बुधवार	तहरी एवं दूध (उबला हुआ गरम दूध)	चावल एवं मौसमी सब्जी, मिश्रित तहरी एवं उबला हुआ गरम दूध	चावल 10 कि०ग्रा०, मौसमी सब्जी 5 कि०ग्रा०, तेल/धी 500 ग्राम एवं 15 लीटर दूध	चावल 15 कि0ग्रा0, मौसमी सब्जी 7.5 कि0ग्रा0, तेल/घी 750 ग्राम एवं 20 लीटर दूध
गुरूवार	रोटी—दाल	गेंहू की रोटी एवं दाल (यथा– चना / अरहर / अन्य दाल)	दाल 2 कि0ग्रा0,	आटा 15 कि0ग्रा0, दाल 3 कि0ग्रा0, तेल / घी 750 ग्राम
शुक्रवार	तहरी जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग	चावल एवं सब्जी (आलू, सोयाबीन एवं समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां	सब्जी 5 कि0ग्रा0, सोयाबीन की बड़ी 1	चावल 15 कि0ग्रा0, सब्जी 7.5 कि0ग्रा0, सोयाबीन की बड़ी 1.5 कि0ग्रा0, तेल/घी 750 ग्राम
शनिवार		मसाले एवं ताजी सब्जियां	सब्जी 5 किं0ग्राo, सोयाबीन 1 किं0ग्राo,	चावल 15 कि0ग्रा0, सब्जी 7.5 कि0ग्रा0, सोयाबीन 1.5 कि0ग्रा0, तेल / घी 750 ग्राम

नोटः जहां पर सोयाबीन का प्रयोग हो वहां पर 100 छात्रों हेतु 1 किलो सोयाबीन प्राथमिक स्तर पर एवं 1.5 किलो सोयाबीन उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रयोग करें। बुधवार को छात्रों को भोजन के साथ अनिवार्यतः उबला हुआ गरम दूध उपबल्ध कराया जाय।



## मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र0 तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन नं0-0522-2308502

Email: lkomdm@gmail.com Website: www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / ८- 78 / 2019-20

दिनाँक 0,9 अप्रैल, 2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय जनपद स्तर से एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से उनके निजी बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों का मानदेय शासनादेश संख्या—264/79—6—2012 दिनाँक 13 अप्रैल, 2012 एवं पत्र संख्याः सी—3502/79—6—2015 दिनाँक 06 जुलाई, 2015 के क्रम में विद्यालय स्तर पर एम0डी0एम0 संचालन हेतु संचालित खाते के माध्यम से प्रत्येक माह की दस तारीख को एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से रसोइयों के व्यक्तिगत खातों में अन्तरित किये जाने के निर्देश निर्गत हैं।

उक्त के सम्बन्ध में समय—समय पर रसोइया संघों द्वारा विभिन्न मांग पत्रों के माध्यम से शासन एवं प्राधिकरण स्तर पर यह माँग की जाती रही है कि योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को मानदेय का भुगतान जनपद स्तर से सीधे उनके बैंक खाते में प्रेषित किया जाए।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 02.04.2019 के क्रम में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय जनपद स्तर से सीधे उनके निजी बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही जनपद स्तर से समयान्तर्गत सुनिश्चित की जानी है:—

- 1. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक माह में कार्यरत रसोइयों की विद्यालयवार सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, कार्यरत रसोइयों का नाम, रसोइयों के खाते से सम्बन्धित बैंक का नाम, आई०एफ०एस० कोड, खाता संख्या तथा स्थानान्तरित की जाने वाली मानदेय की धनराशि अंकित कर सॉफ्ट कॉपी एवं हार्डकॉपी प्रमाणित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।
- 2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विकासखण्डों से प्राप्त रसोइयों की सूची प्रमाणित करते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा को प्रस्तुत की जाएगी।
- 3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा द्वारा ई-कुबेर के माध्यम से रसोइयों के खाते में धनराशि नियमानुसार प्रेषित कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

4. बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत ई—कुबेर के माध्यम से कोषागार द्वारा जनपद स्तर से रसोइयों का मानदेय उनके व्यक्तिगत खाते में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक स्थानान्तरित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय,

> (मुमताज़ अहमद) वित्त नियंत्रक / प्रभारी निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः / <u>C-78</u> 2019 तद्दिनांक प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
- 4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ।
- 5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
- 10. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ०प्र०, लखनऊ।
- 11. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
- 12. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (ई-11)/बजट अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 13. गार्ड फाइल।

(मुमत्राज़ अहमद) वित्त नियंत्रक / प्रभारी निदेशक

संख्याः ५३5 / 79-6-10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी, जन्तर प्रवेश:

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ दिनांक: २५ अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को एन0जी0ओ0 द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से पका—पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में एन0जी0ओ0 हेतु रसोईयों की संख्या के मानक के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसों, ई०सी०जी०आई० केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या—3026/79—6—2009 दिनॉक—26. 12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनगरि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या—एफ०एन०ओ०1—1/2009—डेस्क(एम०डी०एम०) दिनॉक—24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या—3026/79—6—2009 दिनॉक—26—12.09द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू० 1000/— की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. प्रदेश में मध्यान्ह् भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को एन0जी0ओ0 द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से पका—पकाया मध्यान्ह् भोजन उपलब्ध कराए जाने की रिथति में एन0जी0ओ0 हेतु रसोईयों की संख्या का मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है—

कम संख्या	विद्यालय में नामांकितछात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301 से 1000	5
6	1001-1500	6
7	1501-2000	7
8	2001-2500	8
9	2501-3000	9
10	3000 से अधिक पर प्रत्येक हजार पर एक अति।	रिक्त रसोईया

उसोईया सह सहयोगी के मानदेय की धनराशि उपर्युक्त मानकों के आधार पर एन०जी०ओ० के द्वारा इस संबंध में दिये गये प्रमाणक के आधार पर प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

जिला स्तर पर एन०जी०ओ० के चयन के समय ही एन०जी०ओ० को आवंटित किए जाने वाले विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर उपरोक्त मानक के अनुसार संबंधित एन०जी०ओ० हेतु रसोईयों की संख्या का आगणन कर उसे लिखित रूप में जिला बैसिक शिक्षा अधिकारों के माध्यम से संबंधित एन०जी०ओ० को संसूचित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

एन0जी0ओ0 द्वारा रसोईया सह सहयोगी को मानदेय के रूप में किये गये भुगतान का लेखा—जोखा पृथक से रखा जायेगा तथा आवश्यकतानुसार सम्प्रेषण आदि की स्थिति में उपलब्ध

कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय.

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बै०), उ०प्र०।

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्खियाल)

संयुक्त सविव।

संख्याः 4350)/79-6-10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सनस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ

दिनांक: ३५ अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके—पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में। महोदय

मध्यान्ह् भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई०सी०जी०आई० केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या—3026/79—6—2009 दिनॉक—26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या—एफ०एन०ओ०1—1/2009—डेस्क(एम०डी०एम०) दिनॉक—24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या—3026/79—6—2009 दिनॉक—26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू० 1000/— की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या—3026 / 79—6—2009 दिनॉक—26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु भानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है—

कुम	1 1911(1 1974) 01(11 8-	
	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
संख्या		
1	25 तक	1
2	26-100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301-1000	5
6	1001-1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईयं के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईयं के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट गई चेक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईयं के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू० 1000/— प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि कं खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन०जी०ओ० तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह, धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का चयन शासनादेश संख्या—1429/79—6—04—1(6)/2000 टी.सी.—3 दिनॉक—25 जून,04 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति / वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रक्रिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कासन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:—

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या—4/1/2001—कार्मिक—2 दि0 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा —

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3-- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5— अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यार्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यकता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यकता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत / वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सन्न के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोइयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोइयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईयें के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईये को अनुपस्थित रसोईयें के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रू० 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन एसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रू० 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रू० 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्यान्ह भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संकामक रोग से ग्रिसत होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति—युक्त कारण, जिसके कारण चयन समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अनले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010—11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर से दि0 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड दिकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार—प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार

पर पाम पंचायत / वार्ड समितियों के माध्यम से योजना से आाच्छादित विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में रसोईयों की संख्या विद्यालयवार निर्धारित करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद को संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संसूचित करें। इस संख्यात्मक विवरण को मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट परं भी अपलोड कर दिया जाय. िनससे इच्छुक सामान्यजन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पंचायत और वार्ड रमासद के स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा डुगडुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोईये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की

वर्ष 2010—11 के बाद आगामी प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए चयन विगत शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व अपैल से मई माह में कर लिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जायेगा। जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुए विज्ञापन में ग्राम पंचायत / वार्ड समिति के सदस्य सचिव (सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यायक) के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि भी अंकित कर दी जाये(आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक-1)। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय अविध में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाये कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उसको पावती रसीद दी जायेगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत तिथि के अपराहन 5.00 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरान्त ग्राम / वार्ड स्तरीय समिति द्वारा आगामी 1 सप्ताह के अन्दर रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायंगी तथा सामिति के सदस्य सचिव द्वारा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 7 मई तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर अपील का निस्तारण

सुनिश्चित करेगा।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब / मदरसों, स्वयं सहायता समूह तथा एन०जी०औ० द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में रसोईये का चयन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा तथा इन संख्थाओं के ऊपर चयन प्रक्रिया संबंधी उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

समरत मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ०प्र0।

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ०प्र०। 4--

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक.

श्री हरिराज किशोर, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

2

3

(گ

 $\rightarrow$ 

 $\equiv$ 

Ç.

- 1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुमाग-6

लखनक दिनांक— 25 जून, 2004

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका-पकाया मोजन (कुक्ड मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जपर्युक्त विषयक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मां० सर्वोच्य न्यायालय में योजित याचिका संख्या—196/2001 पीपुल्स युनियन फ़ार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मां० सर्वोच्य न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2001 के समादर में श्री राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा के क्रम में नीचे से चयनित प्रदेश के 25 प्रतिशत अर्थात 16 निम्न जनपदों— 1. बहराइच, 2. हरदोई, 3. लखीमपुर खीरी, 4. सोनभद्र, 5. उन्नाव, 6. रायबरेली, 7. प्रतापगढ़, 8. सीतापुर, 9. गोण्डा, 10. फैजाबाद, 11. बाराबंकी, 12 मऊ, 13. इटावा, 14. सुल्तानपुर, 15. लखनऊ, 16. शाहजहाँपुर में बच्चों को गर्म पका—पकार्या भोजन (कुक्ड मील) योजना लागू किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :—

1. प्रदेश के सरकारी / परिषदीय / सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों / ई०जी०एस० केन्द्रों में कक्षा—1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ष में कम से कम 200 दिन पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8—12 ग्राम प्रोटीन हानी अनिवार्य है।

- 2. भारत सरकार द्वारा तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्त से बच्चों को ग्राम पंचायत / वार्ड कमेटियों के माध्यम से पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था की जाएगी जिसके अन्तर्गत गेंहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दिलया (मीठा), नमकीन दाल रोटी अथवा सब्जी रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल चावल, सब्जी चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।
- 3. भोजन प्रकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता न लेते हुए ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी तथा भोजन प्रकाने के ,िलए महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) / एन. जी.ओ. की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेगी।
- 4. खाना पकाने के लिए सामग्री / मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट्र) निम्नलिखित स्रोतो से वहन की जाएगी:--
  - 1. 25 प्रति.पी.एम.जी.वाई योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से।
  - 2. 25 प्रतिशत राज्य सरकार से वित्त पोषण से।
  - 3. 50 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में खाना पकाने वाली संस्था को (02 किग्रा प्रति छात्र प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराकर) (यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध

कराये जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि की व्यवस्थः, कराते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेंड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा-सर्व शिक्षा-अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

से की जाएगी।

7.-- - योजना-के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनग्राश की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक में करायी जाएमी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएमा रथानीय स्तर पर ग्राम पंचायत / वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन प्रकारकर उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग / नगर विकास विभाग का होगा।

अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिसाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपमोग प्रमाणपत्र प्रखुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पूर्व मकार्ये गोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत गढित की जाएगी।

ं - गाम प्रधान

2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों

3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक

4. दो पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे

सदस्य

वार निगम् वार पिया वार पालिकाएं / नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पंडा बाल विद्यालयों के बच्चों हेतु पका पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराय जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएंगी ां सम्बन्धित वार्डे समासद

2. सम्बन्धित वार्ड समासद द्वारा मनोनीत सदस्य दो महिलाएं जो अभिमावक भी हों 3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदस्य

4. दो पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य के समासद द्वारा मनोनीत होंगे

संदस्य

-10 प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन-प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु-जनपद स्तर-पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगाः-

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष 2. मुख्य विकास अधिकारी सदस्य 3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य / सचिव 4. जिला विद्यालय निरीक्षण संदस्य 5. जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य 6. जिला पंचायत राज अधिकारी  $z^{\prime}>0, m,$ सदस्य 7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत सदस्य के अधिशासी अधिकारी 8. जिला पूर्ति अधिकारी

सदस्य 9. भारत खाद्य निगम/ उ०प्र० राज्य खाद्य . एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी उक्त योजना की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर भी निम्नवत् एक समिति गठित की जाएगी जो योजना की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेगी:-1. प्रमुख सचिव, शिक्षा / प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज 3. प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन 4. प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त 5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास 6. प्रमुख सचिव / सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग 7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम 8. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग 9. निदेशक, पंचायती राज विभाग 10. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इस योजना पर आने वाले व्यय-भार के निमित्त वित्तीय स्वीकृत के आदेश अलग से निर्गत क़िए जाएगें। यह आदेश विंता विभाग के अद्धशासकीय संख्या-ई-11/1047/दस-2004 दिनांक 18.6. 13. 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है। भवदीय ₹0 (हरिराज किशोर) सचिव पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन। 2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विमाग, उ०प्र० शासन। 3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासनं। 4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन। 5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन। 6. निदेशक, बेसिक शिक्षा। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ। 8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ। 9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश। 10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। 11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।' 12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश। 13. गार्ड फाइल / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

--

---

PPANA

आज्ञा से, ह0 **(दिनेश चन्द्र कनौ**जिया) विशेष सचिव

# रसोईया के चयन हेतु आवेदन पत्र

	आवेदक का नवीन स्वहस्ताक्षरित फोटो
नाम :	
पिता / पति का नाम :	
लिंग :	
श्रेणी : 1 ] अनुसूचित जाति	
2 अनुसूचित जनजाति	
3 🔲 अन्य पिछड़ा वर्ग	
4 सामान्य	
(नोट : श्रेणी के आगे बने बॉक्स में (√) का चि	न्ह अंकित करें।)
वेवाहित स्थिति : 1 विवाहित/अविवाहित	
2 विधवा / परित्यक्ता	···
(नोटः परित्यक्ता की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।)	प्रारूप पर प्रमाण
गावेदक के बच्चे का नाम : विद्यालय का नाम(जहाँ अध्ययन कर रहा है।) कक्षा आवेदक से संबंध	
विदक का पता :	

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

# परित्यक्ता हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुर्श	गे पिता
निवासी	
	अपने पति श्री
	र्वे निवास
से अलग	में निवास कर रही हैं।
जारी करने की तिथि :	ग्राम पंचायत अधिकारी का हस्ताक्षर
	(नाम व मुहर सहित)





## मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ



फोन नं0-0522-2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com

वेब साइट- www.upmdm.org

पत्रांक : म०भो०प्रा०/ ८-52५०

/2018-19

दिनांकः 01-03-2019

सेवा में.

- 1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या-12 भा.स./36-3-2019-01(भा.स.)/19 दिनांक 11.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के श्रमिकों को अपना आधार एवं बचत बैंक खाते की पासब्क लेकर निकटतम जन स्विधा केन्द्र (सी.एस.सी.) पर अपना पंजीकरण कराना है। उक्त योजनान्तर्गत श्रमिक द्वारा आय् के आधार पर न्यूनतम 55 एवं अधिकतम रू 200/- मासिक योगदान किया जाएगा एवं इतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाएगी। पंजीकृत श्रमिकों को 60 साल की आयु प्राप्त होने के उपरान्त रू 3000/- मासिक पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय होगी।

मा. प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का श्भारम्भ दिनांक 05.03.2019 को प्रात: 11:30 बजे से 01:00 बजे तक किया जाएगा, जिसका सजीव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से देखा जा सकता है।

आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत रसोइया कार्यरत हैं। समस्त रसोइयों को आयु के अनुसार योजना से लाभान्वित किया जाना

अतः अनुरोध है कि जनपद के समस्त रसोइयों का पंजीकरण दिनांक 05.03.2019 से पूर्व कराने हेत् आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं दिनांक 05.03.2019 को समस्त पंजीकृत रसोइयों को योजना का शुभारम्भ प्रात: 11:30 बजे से 01:00 बजे तक दूरदर्शन पर दिखाये जाने की व्यवस्था भी कराने का कष्ट करें।

संलग्न: भारत सरकार का गजट दिनांक 07.02.2019 एवं

शासन का पत्र संख्या-12 भा.स./36-3-2019-01(भा.स.)/19 दिनांक 11.02.2019

भवदीय,

(म्मताज अहमद) प्रभारी निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- 1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(म्मताज अहमद) प्रभारी निदेशक

संख्याः 720 / 79-6-2013

प्रेषक.

श्री जावेद उस्मानी मुख्य सचिव, उ०प्रव शासन।

सेवा में

- 1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2013

विषय-मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता संबंधी आवश्यक निर्देश।


महोदय.

मध्यान्ह भोजन योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है, जिसमें छात्रों को मध्यावकाश में गर्म पका—पकाया भोजन इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है कि छात्र नामांकन में वृद्धि हो सके, छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखने के साथ विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी लायी जा सके, छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र—छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्व, एकता एवं परस्पर भाई—चारे की भावना में वृद्धि की जा सके।

मध्यान्ह भोजन योजना की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत आवश्यक है कि स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय —

## खाद्यान्न के उठान एवं भंडारण से संबंधित

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्त यथा चावल, गेहूँ आदि को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वह सड़ा—गला या खराब न हो। साथ ही प्रत्येक माह भारतीय खाद्य निगम से उठान के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैम्पल के पैकेट बनाये जायें जिनमें से एक पैकेट भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर तथा दूसरा ब्लॉक गोदाम पर सुरक्षित रखा जाये। इसी प्रकार सैम्पल का एक पैकेट कोटेदार तथा एक पैकेट विद्यालय में भी सुरक्षित रखा जाय। साथ ही साथ एक—एक पैकेट सम्बन्धित विकास क्षेत्र के खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये जिससे कि विद्यालयों के निरीक्षण के समय इस सैम्पल से खाद्यान्न की गुणवत्ता का मिलान किया जा सके। यह भी सुनिश्चित




 जहां पर खाद्यान्न रखा जाय वहां सुनिश्चित किया जाय कि वह स्थान साफ एवं सूखा हो।

## मध्याह्न भोजन के पकाने से संबंधित

- मध्यान्ह भोजन पकाने के पूर्व, पकाने के दौरान, भोजन वितरण करने तथा वितरण के पश्चात् रसोईघर, बर्तन व खाद्य सामग्री की रवच्छता तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय।
- विद्यालय में निर्मित रसोईघर में ही भोजन पकाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
   किसी भी दशा में खुले में भोजन पकाने की अनुमित न दी जाय।
- भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सम्पूर्ण सामग्री मानकानुसार हो, यथा—आयोडीन युक्त नमक, एगमार्क मसाले एवं सीलबन्द तेल आदि। मसालों को भी एयरटाइट बर्तनों में रखा जाय तथा किसी भी दशा में अन्य किसी प्रकार के बर्तन में न रखा जाय। अच्छी ब्राण्ड का तेल / घी प्रयोग में लाया जाय तथा खुले तेल / घी का प्रयोग न किया जाय।
- प्रत्येक माह में जनपद के रैण्डम आधार पर चयनित कम—से—कम 10 विद्यालयों के भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैम्पल को निर्धारित प्रक्रियानुसार इकट्ठा कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच करायी जाय। सैम्पल फेल होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/एजेन्सी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय तथा इसका पूर्ण विवरण जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक(मध्याह्न भोजन) के द्वारा रखा जायेगा और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

## मध्याह्न भोजन के वितरण से संबंधित

- गर्म पका—पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि खाने को किसी वयस्क व्यक्ति (अध्यापक/अध्यापिका/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/अन्य अभिभावक) चख लें, जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके व बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
- विद्यालय स्तर पर भोजन चखने हेतु सम्बन्धित (अध्यापक/अध्यापिका/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/अन्य अभिभावक) का एक रोस्टर तैयार किया जाय तथा रोस्टर रिजस्टर भी व्यवस्थित किया जाय, जिसमें प्रतिदिवस भोजन चखने वाले व्यक्ति का नाम अंकित हो तथा उसके हस्ताक्षर भी कराये जायँ। यदि रोस्टर के आधार पर कोई व्यक्ति अनुपस्थित होता है तो अन्य सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा भोजन चखा जाय।



 बच्चों को खाना खाने से पूर्व अनिवार्य रूप से साबुन/साबुन का घोल से हाथ धुलवाया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बच्चों के बर्तन साफ हों।

## पेयजल स्रोत की स्वच्छता से संबंधित

- विद्यालय में उपलब्ध हैण्डपम्प के आसपास की साफ—सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा पानी की निकासी की सुद्ढ़ व्यवस्था करायी जाय। इस हेतु पंचायती राज / ग्राम्य विकास विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाय।
- विद्यालय में इस्तेमाल होने के उपरान्त निष्प्रयोजित पानी के सुरक्षित निपटान हेतु सोख्ता गड्ढा तैयार कराया जाय, जिससे कि गंदा पानी भूगर्भ जलस्रोत को संकमित न कर सके।
- त्रैमास में कम—से—कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में स्थापित हैण्डपंप से उपलब्ध हो रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से जल निगम के द्वारा करायी जाय तथा इसके निष्कर्ष का रिकार्ड विद्यालय रतर पर रखा जाय। पेयजल संक्रमित पाये जाने की दशा में जल निगम द्वारा तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही संपादित की जाय।
- पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित बिन्दु पर भी रिपोर्ट जल निगम के अधिकारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

## मध्याह्न भोजन के निरीक्षण से संबंधित

- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह में निर्धारित निरीक्षण अवश्य कराये जायें तथा निरीक्षण में इंगित किमयों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता के दृष्टिगत उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- विरष्ट सांसद की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण सिमित की नियमित बैठकों करायी जायँ। इन बैठकों में मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी चर्चा की जाय, जिससे मध्यान्ह भोजन योजना का सुचारू संचालन हो सके।
- यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य दिवस में पके—पकाये भोजन का सैम्पल विद्यालय के बन्द होने तक सुरक्षित रखा जाय।

### स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित

 भोजन पकाने वाले रसोइये स्वच्छता से कार्य करने के साथ-साथ स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें।

- पंचायतीराज विभाग द्वारा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का स्वच्छता, हाईजीन व सुरक्षा के दृष्टिगत "निर्मल भारत अभियान" के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कराया जाय।
- प्रत्येक विद्यालय के बच्चों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित
   आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के अधीन अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय।

## दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु

● जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी के दूरभाष नम्बरों के साथ—साथ आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा (108) तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के शिकायत पंजीकरण सम्बन्धी टॉल फ्री नम्बर (1800—4190—102) प्रत्येक विद्यालय की प्रमुख दीवार पर पर अनिवार्य रूप से पेण्ट करायें जायें तथा किसी भी आकिस्मिक स्थिति से निपटने के लिये अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाय।

भवदीय, जावद उस्मानी) मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें :—

- 1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०।
- 2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
- 4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०।
- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
- 7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- 8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
- 9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- 10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से, (सुनील कुमार) प्रमुख सचिव।

संख्या-541/79-6-15-27/2015

प्रेषक,

एच०एल० गुप्ता, सचिव. उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

दिनांकः । ३ . 🔊 . जुलाई, 2015 लखनऊ:

विषय:-जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन/कियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदय.

उपर्युक्त विषय पर निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र सं0-म0भो0 प्रा0-4585 / 2014-15 दिनांक 05.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन/कियान्वयन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय :--

अर्हता/पात्रता के बिन्दु

(1) गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाएँ) राज्य में लागू अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न रूप से सोसाइटी एक्ट 1860 अथवा पब्लिक द्रस्ट एक्ट में पंजीकृत हों एवं राजनीतिक व धार्मिक न हों तथा संस्था का पंजीकरण-प्रमाणपत्र आवेदन प्रस्तुत करते समय वैध हो और उसका नवीनीकरण भी निरन्तर किया गया हो।

(2) गैर सरकारी संगठनों (रवैच्छिक संस्थाओं) के वैधानिक अस्तित्व हेतु स्वैच्छिक

संस्था कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हों।

(3) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को केन्द्र / राज्य सरकार अथवा इनके किसी अभिकरण एवं सेन्द्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड (सी०एस०डब्लू०बी०) या काउंसिल फार दि एडवान्समेन्ट आफ पीपुल्स ऐक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट) द्वारा काली सूची में डाला न गया हो।

(4) गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्था) किसी व्यक्ति / व्यक्तियों के निकाय के वित्तीय लाभ के लिये संचालित न हो रही हो तथा मध्यान्ह भोजन योजना का कार्य "न लाभ -न हानि" सिद्धांत के तहत् कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हो।

(5) गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 12–ए एवं

80 जी के अर्न्तगत पंजीकृत हो तथा संस्था का पैन नम्बर हो।

(6) केवल वही गैर सरकारी संस्था ही पात्र होगी जिसका अपना प्रशासनिक ढ़ाँचा (मुख्य कार्यालय / शाखा कार्यालय पूर्णकालिक कर्मी सहित) कम से कम 3 वर्ष से मौजूद हो। संस्था को कार्य आवंटित होने पर स्थानीय स्तर पर अपना ढाँचा स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(7) केवल वही गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाएँ) आवेदित जनपद के लिय चयन हेतु पात्र होंगी, जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष भारत

सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा संचालित उपक्रम/अभिकरणों से 30 लाख तक अनुदान प्राप्त कर कार्य किया गया हो। संस्थाओं को गत वर्षी में प्राप्त अनुदान की वैंध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित ऑडिट आख्या एवं बैलेंसशीट की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(8) मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तंगत यदि किसी संस्था द्वारा पूर्व में किसी जनपद में कार्य किया गया हो, तो उनके अनुभव एवं गुण-दोष के आधार पर

चयन में प्राथमिकता हेतु विचार किया जायेगा।

(i) यदि किसी संस्था द्वारा गत तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि में योजनान्तर्गत किसी राज्य/जिला में अच्छा कार्य किया गया हो तो उनके चयन में वरीयता प्रदान की जा सकती है।

(ii) ऐसे स्वयं सेवी संस्थाओं को योजना में शामिल नहीं किया जायेगा, जिनका

पूर्व में योजनान्तर्गत खराब प्रदर्शन रहा हो।

(9) स्वैच्छिक संस्था का अवस्थापना निर्माण तथा योजना के संचालन हेत् वित्तीय क्षमता का ऑकलन सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधन यथा-इन्फ्रास्ट्रक्वर / अधिकारी, कर्मचारी, रसोइया जैसे भोजन पहुँचाने हेतु मोटर वाहन एवं मशीनीकृत सेन्द्रल किचेन की स्थापना की क्षमता के अनुसार होनी चाहिये।

(10) भारत सरकार के दिशा निर्देश तथा प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या—394 / 79—6—00—1(5) / 06 दिनांक 17.02.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत उन्हीं ग्रामीण / नगर क्षेत्रों में खयं सेवी संस्था को भोजन वितरण का कार्य सौंपा जा सकता है, जिसमें ग्रामप्रधान/वार्ड सभासदों द्वारा भोजन बनाने में असमर्थता व्यक्त कर दी जाय, का अनुपालन किया जाना होगा।

2- चयन प्रक्रिया

(1) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) का चयन जनपद स्तर पर गठित एक 06 सदस्यी चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे:--

√ जिलाधिकारी

-अध्यक्ष

✓ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

-सदस्य / सचिव

√ जिला समन्वयक( एम0 डी० एम0 )

-सदस्य

✓ वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा

-सदस्य

√ जिलाधिकारी द्वारा 02 व्यक्तियों को नामित किया जायेगा। (जिसमें 01 स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी होगा एवं 01 जनपद स्तरीय प्रतिष्टित एन0जी0ओ0/अर्द्धसरकारी उपक्रम का सदस्य होगा )

(2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के चयन हेतु किन्ही दो पंजीकृत विस्तृत प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में जिन क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के माध्यम से भोजन वितरण किया जाना है, उसका उल्लेख अवश्य किया जाएगा। यथा-वार्ड/टाउन एरिया का नाम, कुल अवस्थित विद्यालयों की संख्या तथा इन विद्यालयों में कुल नामांकन, जिससे कि गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाएँ) अपनी क्षमता के आधार पर अपना प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष रख सके।

(3) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि

MA

गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को उनके आवेदन पत्र प्राप्त की तिथि का अंकन करते हुए जिला बेसिक शिक्षा द्वारा नामित/अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये गये समस्त आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में दर्ज कर निर्धारित तिथि में चयन समित के समक्ष खोला जाएगा।

(4) जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा अर्हता/पात्रता आदि शर्तों के आधार पर

समस्त आवेदन पत्रों का विधिवत परीक्षण किया जाएगा।

(5) चयन प्रक्रिया में अर्हता/पात्रता के मानको की पूर्ति होने पर निम्नानुसार अंक प्रदान किए जायेगे:-(चयन प्रक्रिया 100 अंक की होगी)

क्र0	विवरण/अहर्ता/ पात्रता	अंक	टिप्पणी
1.	बिन्दु—5 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	15	12 ए होने पर 05 अंक 80 जी होने पर 05 अंक पैन कार्ड होने पर 05 अंक
2.	बिन्दु—6 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	10	मुख्य/शाखा कार्यालय होने पर 05 अंक मुख्य/शाखा कार्यालय पर पूर्णकालिक कर्मी होने पर 05 अंक।
3.	बिन्दु—7 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	20	30 लाख तक 05 अंक। 30 से 50 लाख तक 10 अंक। 60 से अधिक पर 20 अंक।
4.	बिन्दु—8 में अंकित मानक योजनान्तर्गत कार्यनुभव की पूर्ति होने पर	20	03 वर्ष पर 05 अंक। 03 से 06 वर्ष तक 10 अंक। 06 वर्ष से अधिक पर 20 अंक।
5.	बिन्दु—9 में अंकित मानको की पूर्ति होने पर	30	केन्द्रीयकृत किचेन हेतु उपर्युक्त स्थल प्रस्तावित होने पर 05 अंक। भोजन पहुचाने हेतु वाहन की व्यवस्था पर निम्नानुसार अंक है:— ठेला होने पर 0 अंक। 01 से 02 मोटर वाहन होने पर 03 अंक। 02 से अधिक मोटर वाहन होने पर 05 अंक। 01 या अधिक इन्सुलेटेड वैन होने पर 07 अंक। रोटी मेकिंग मशीन होने पर 02 अंक। व्यायलर होने पर 02 अंक।

			चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर होने पर 02 अंक। बैजिटेबिल कटिंग मशीन होने पर 02 अंक। आटा गुथने की मशीन होने पर 02 अंक।
6	नागन मणि -र		भोजन पकाने हेतु पर्याप्त मात्रा में बर्तन होने पर 03 अंक। किचेन में कार्यरत कर्मचारी/रसोईया की संख्या शासनादेश सं0-435/79-6-2010 दिनांक 24.04. 2010 में जारी मानक के अनुसार होने पर 05 अंक।
U	चयन समिति के साक्षात्कार पर	05	समिति के सदस्यों पर निर्भर

- (6) चयन समिति द्वारा गैर सरकारी संगठनों (स्वैक्टिक संस्थाओं) का उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से अन्तिम चयन किया जाएगा एवं चयनित स्वैक्टिक संस्थाओं की सूची तत्काल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
- (7) चयन समिति द्वारा योजना हेतु आवंटित संस्था के केन्द्रीयकृत किचेन के नियमित निरीक्षण हेतु एक अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा पकाये जाने वाले भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह अपनी आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

## 3— थोजन पकाने एवं वितरण की शर्ते

- (1) भीजन शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू/पौष्टिक मात्रा के अनुसार ही प्रतिदिन विद्यालय कार्यदिवस में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को अनिवार्य रूप से उनको आवंदित विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मध्यावकाश में भोजन उपलब्ध कराना होगा।
- (3) एन0जी0ओ0 द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन से विद्यालय तक भोजन ढक्कनदार कन्टेनरों में पहुंचाया जाय।
- (4) एन०जी०ओ० द्वारा विद्यालय तक खाना पहुँचाने में विशेष सजगता बरती जायेगी तथा इस प्रकार का प्रबन्धन किया जायेगा कि मध्यावकाश में छात्रों को गर्म तथा ताजा भोजन प्राप्त हो सके।
- (5) एन०जी०ओ०, केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से तैयार भोजन खिलाये जाने पर यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संरथाओं) की होगी, जिस हेतु गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक कार्यवाही की जायेगी।
- (6) एनoजीoओo द्वारा मिड—डे—मील उपलब्ध कराने हेतु भेजी गयी गाड़ियों का रोडमैप एवं चालक का विवरण (फोटो, चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति व

BAN

मोबाइल नम्बर) तथा गाडियों के रिजस्ट्रेशन की प्रति एन0जी0ओ0 के केन्द्रीयकृत किचेन पर होना आवश्यक है तथा गाडियों के आवागमन का समय भी अंकित हो। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में गाड़ी आने का समय भी अंकित किया जाय।

(7) प्रत्येक चालक तथा कुक कम हैल्पर के पास एन०जी०ओ० संचालक द्वारा प्रमाणित तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पहचान पत्र होना अनिवार्य है। एन०जी०ओ० संचालक द्वारा एन०जी०ओ० में कार्यरत समस्त स्टाफ के चिरित्र के संबंध में भी पुष्टि की जानी होगी यथ।— उनका कोई क्रिमिनल रिकार्ड ना हो।

(8) केन्द्रीयकृत कियेन से विद्यालय स्तर तक भोजन ले जाने वाले कर्मियों का विवरण विद्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों पर रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण कार्य में लगे कर्मियों को संस्था एक तरह की वर्दी व नेम प्लेट अवश्य देगी। यदि किसी कारणवश भोजन वितरण करने वाले कर्मियों में फेर-बदल की जाती है तो ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी पूर्व से विद्यालय एवं कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों की उपस्थिति के सापेक्ष प्रतिदिन उपलब्ध कराये जा रहे पके—पकाये भोजन को सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित

कराया जाना अनिवार्य होगा।
(10) स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने संसाधनों से यदि स्कूली बच्चों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गर्म पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश शासन/प्रशासन को कोई आपित नहीं होगी। उक्त अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्ट्स का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन्स वर्ष 2006 के प्रस्तर— 3.91 एवं उसके उप प्रस्तरों में विहित दिशा निर्देशों तथा समय—समय पर निर्गत भारत सरकार/प्रदेश सरकार की गाइड लाइन्स/निर्देशों का अनुपालन भी स्वयं सेवी

संस्था को करना होगा।
(11) चयनित संस्था द्वारा समय—समय पर एन०ए०बी०एल० सर्टिफाइड प्रयोगशाला
में अपने भोजन के सैम्पल की गुणवत्ता की जॉच करानी होगी तथा सैम्पल के
जॉच आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी
होगी।

## 4— भुगतान की व्यवस्था

(1) मध्यान्ह भोजन योजना हेतु चयनित खयं सेवी संस्था द्वारा जनपद में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में बचत खाता खोला जायेगा।

(2) संस्था को जनपद स्तर से परिवर्तन लागत के अन्तर्गत कोई अग्रिम धनराशि योजना के संचालन हेतु नहीं दी जायेगी।

(3) विद्यालयों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति के अनुसार गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) द्वारा उपलब्ध कराये गये पके—पकाये भोजन, जो विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित हो, के अनुसार ही माहवार बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्वैच्छिक संस्थाओं के भुगतान के संबंध में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रांक:म0भो0प्रा0/सा0/सी0-4427/ 2012-13 दिनांक 20.02.2012 का

M

अनुपालन किया जायेगा जिसमें उल्लेख है कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा माह की समाप्ति पर अगले माह की 07 तारीख तक बिल संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यपक द्वारा सत्यापित कराकर उपलब्ध कराया जाय, जो मध्यान्ह भोजन पंजिका के अनुसार हो और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 07 से 15 तारीख तक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसकी जॉच करा ली जाय। तत्क्रम में निर्णय लेकर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त 20 तारीख तक भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय।

(5) स्वयं सेवी संस्थाओं को रसोइया/हेल्पर हेतु जारी शासनादेश संख्या—435/79—6—10 दिनांक 24.04.2010 द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर ऑकलित रसोइयों की संख्या के अनुसार

मानदेय रू० 1000 / - प्रति रसोइया का भूगतान किया जायेगा।

(6) यदि संस्था / संगठन द्वारा नियमित रूप से निर्धारित मात्रा, मेन्यू एवं गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी स्थिति में संस्था को नोटिस देते हुए, उनके पक्ष की सुनवाई करने के उपरान्त संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5— योजना क्रियान्वयन की शर्ते

(1) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को जनपद द्वारा 01 वर्ष के लिए अनुबन्धित किया जायेगा तथा योजना अनुरूप कार्य संतोषजनक होने के आधार पर चयन समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं का पुनः 01–01 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में 03 वर्ष के पश्चात संस्था का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। पुनः विज्ञापन की प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(2) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार जनपद स्तर से आवंदित कुल विद्यालयों में योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर एक माह में कुल उपभोग होने वाले खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का स्थानीय दर के अनुसार धनराशि+परिवर्तन लागत के अनुसार कुल लागत की बैंक गारण्टी देना अनिवार्य होगा।

(3) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को शासन एवं प्राधिकरण स्तर से योजना हेतु समय—समय पर जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को समय—समय पर जनपद, प्राधिकरण एवं शासन द्वारा मांगी जानी वाली रिपोर्ट एवं सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी।

(5) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को परिवर्तन लागत मद के अन्तर्गत गत माह के बिल आगामी माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा बिल समय से तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इसके फलस्वरूप भुगतान में बिलम्ब आदि होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं सेवी संस्था की होगी।

(6) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को योजना से सम्बन्धित लेखा—बही, कैशबुक, स्टाक रजिस्टर आदि के समय—समय पर आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु जनपद, प्राधिकरण, शासन के अधिकारियों को सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत अतिरिक्त धनराशि

MAN

गुणवत्ता / पौष्टिकता बढ़ाने हेतु लगायी जा रही है, तो उसका विवरण पृथक से रखना होगा।

(7) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को वैध चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से प्रमाणित योजनान्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय की वार्षिक आख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(8) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) द्वारा किसी भी दशा में योजनान्तर्गत प्राप्त किये गये खाद्यान्न एवं धनराशि को किसी अन्य योजना हेतु परिवर्तित (Divert) नहीं किया जायेगा और न ही संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था को अपने स्तर से कार्य हस्तान्तरित (Divert) किया जायेगा। ऐसा किये जाने पर संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने तथा ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(9) गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को अनुबन्ध अवधि में नियमित तौर पर टारक फोर्स समिति द्वारा मूल्यांकन/कार्य किया जायेगा। मूल्यांकन में यिद योजना के अनुरूप कार्य नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित संस्था को नोटिस जारी करते हुये संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। अध्यक्ष, चयन समिति/जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्ध समाप्त किया जायेगा। यदि किसी जनपद द्वारा गैर सरकारी संगठनों (स्वैच्छिक संस्थाओं) को योजनान्तर्गत खराब गुणवत्ता एवं विभिन्न अनियमितताओं के कारण पृथक कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित संस्था को किसी अन्य जनपद द्वारा भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

(10) मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न (गहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयं सेवी का भी प्रतिनिधि होगा।

(11) गैर सरकारी संगठनों (रवैच्छिक संस्थाओं) को विधिवत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संस्था द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्त एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का दुरूपयोग अथवा गबन किया जाता है, तो संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही (यथा एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना, काली सूची में डाला जाना, पंजीकरण, निरस्तीकरण की कार्यवाही इत्यादि) की जायेगी।

(12) चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यालयों से लाइसेन्स प्राप्त किये जाने होगें। यथा— खाद्य लाइसेन्स / फायर विभाग व अन्य संबंधित लाइसेन्स प्राप्त किये जाने होगे।

(13) स्वयं सेवी संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पत्र सं0–5688 दिनांक 17.12.2013 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेन्स प्राप्त करने की बाध्यता होगी।

(14) विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण कार्य में शिक्षकों की सहायता न लेने के दृष्टिगत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आच्छादित विद्यालयों में भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोईयां / हेल्पर में से एक के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु संस्था द्वारा रसोइयां / हेल्पर को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक / अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेंगा।

MIL

विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोईयां/हेल्पर में से एक के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु संस्था द्वारा रसोइयां/हेल्पर को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को किया जायेगा। मोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेंगा। (15) स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन/टेण्डर प्रकिया आदि के संबंध में विज्ञापन/टेण्डर प्रकाशित कराने में आने वाले व्यय हेतु निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा आवेदन फार्म/टेण्डर विकय के लिये धनराशि निर्धारित करने के लिए पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

( एच०एल० गुप्ता ) सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।

3- शिक्षा निदेशक (बे0) उ०प्र० लखनऊ।

4- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उ०प्र०।

5— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।

6- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

7- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, (बेसिक शिक्षा) उ०प्र०।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अमृता सोनी ) विशेष सचिव।



संख्याः 2392/79-6-2014

प्रेषक,

सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ

दिनांक:

15 दिसम्बर, 2014

विषय—मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत घटित होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक निर्देश।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक हैं, जिसमें छात्रों को मध्यावकाश में गर्म पका—पकाया भोजन इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है कि छात्र नामांकन में वृद्धि हो सकें, छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखने के साथ विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी लायी जा सकें, छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र—छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई—चारे की भावना में वृद्धि की जा सके।

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बिहार प्रदेश के जनपद सारण में भोजन ग्रहण करने से कितपय बच्चे बीमार हुये तथा कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गयी। समय—समय पर योजनान्तर्गत इस प्रकार की घटनायें समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आती रहती हैं। अतः इस योजना की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर ''किन्टिन्जेन्सी प्लान'' रिजस्टर तैयार किया जाय, जिसमें इस प्रकार की किसी आकिस्मकता होने पर आवश्यक दूरभाष/मोबाइल नम्बर दर्ज रहे, जिनके माध्यम से तत्काल स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा सकें, यथा—

•	जिलाधिकारी-कार्यालय का नम्बरमोबाइल नम्बरमोबाइल नम्बर
•	उपजिलाधिकारी-कार्यालय का नम्बरमोबाइल नम्बर
0	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक—कार्यालय का नम्बरमोबाइल नम्बरमोबाइल नम्बर
0	मुख्य चिकित्साधिकारी-कार्यालय का नम्बरमोबाइल नम्बर
•	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी—कार्यालय का नम्बरमोबाइल नम्बर
0	खण्ड विकास अधिकारी—कार्यालय का नम्बरमोबाइल नम्बर
0	खण्ड शिक्षा अधिकारी—मोबाइल नं0—विद्यालय से कार्यालय की दरी
0	प्रभारी स्वारथ्य केन्द्र / प्रभारी चिकित्साधिकारी—मोबाइल नं0—विद्यालय से दरीविद्यालय

- ग्राम पंचायत में ऐसे सम्भ्रान्त व्यक्ति का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिसके पास अपनी स्वयं की कोई गाड़ी हो तथा उनके आवास की विद्यालय से दूरी।
- गांव के आसपास प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर का नाम व नम्बर, जिसको आकिस्मकता की स्थिति में तत्काल बुलाया जा सके तथा उनके क्लीनिक की विद्यालय से दूरी।
- किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर छात्रों को यथाशीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर यथा—सम्भव शीघ्र अभिभावकों को सूचित किया जाय, जिससे उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सके।
- जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में आकस्मिकता की स्थित उत्पन्न होने से निपटने हेतु "मॉक ड्रिल" आयोजित की जाय, जिससे आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु किमयों का पता लगाकर उसके निराकरण का प्रयास अन्तर विभागीय समन्वय के साथ किया जाय।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा अध्यापकों / शिक्षामित्रों को आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु प्रशिक्षण कराया जाय।
- रसोइयों को भी आकिस्मकता की स्थिति से निपटने हेतु प्रशिक्षण कराया जाय।
- विद्यालय की ग्राम सभा के अन्तर्गत मैपिंग अथवा चित्रण किया जाना यथा सम्भव विद्यालय की दीवार पर पेण्ट भी किया जाना चाहिये, जिसमें विद्यालय के नजदीक अस्पताल, थाना आदि की दूरी दी गयी हो।
- आकिस्मिक स्थितियों यथा आग लग जाना, सिलेण्डर फटना जैसी घटनाओं से निपटने हेतु आवश्यक सामग्री यथा अग्निशमन यन्त्र, रेत, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिये तथा आग लगने की स्थिति में यथाशीघ्र उक्त विद्यालय के प्रांगण के खुले स्थान पर पहुँचने की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा आग बुझाने हेतु गांव के ही बड़े लोगों की मद्द लेनी चाहिये। अग्निशमन अधिकारी / निकटतम थाने से तुरन्त सम्पर्क किया जाय।
- विद्यालय अवधि के दौरान जो भी व्यक्ति विद्यालय में आ रहे हों अथवा छात्रों से सम्पर्क कर रहे हों उन सभी की निगरानी अध्यापकों द्वारा की जाय। साथ ही उन समस्त असमाजिक तत्वों, जिनका सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में नाम प्रचलित हो, उनकी सूची तैयार की जाय एवं इन सभी के

विद्यालय में प्रवेश की निगरानी अध्यापकों द्वारा रखी जाय। किसी भी अपरिहार्य स्थिति की सम्भावना होने में तत्काल निकटम थाने से सम्पर्क किया जाय।

- यदि किसी दिवस में एक छात्र को भी अचानक तीव्र पेट दर्द, उल्टी, दस्त, चक्कर आदि की शिकायत हो, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से सभी बच्चों का चेक—अप कराया जाय एवं आवश्यकतानुसार समीप के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाया जाय।
- वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य सामग्रियों के सुरक्षित रख-रखाव यथा अनाज भण्डारण, पिसे हुये आटे तथा मसाले, नमक आदिकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। सीलबन्द कन्टेनर में रखे जायें। कन्टेनर का प्रयोग करते समय यह देख लिया जाये कि वह साफ-सुथरा हो। साथ ही खाद्यान्न का भण्डारण जहाँ पर हो रहा है, वहाँ यह ध्यान रखा जाये कि उसको फर्श पर न रखा जाये बिल्क पट्टी/रलैब इत्यादि लगाकर कुछ ऊँचाई पर रखा जाय।
- जहाँ पर केन्द्रीय किचेन के माध्यम से खाना पहुंचाया जाता है तो वहाँ खाना सीलबंन्द कन्टेनर में ही पहुंचाया जाये साथ ही विद्यालय तक पहुंचने के बीच में कन्टेनर को किसी भी दशा में बीच में न खोला जाय।
- छात्रों को भोजन हमेशा रखने के बाद लगभग 30 मिनट बाद ही दिया जाये साथ ही यह ध्यान रखा जाये कि यदि खाने में ऐसा कुछ लगता है कि वह सही नहीं है तो बच्चों को किसी भी दशा में खाना न दिया जाय।
- खाना हमेशा किचेन शेड में ही बनवाया जाये, किसी भी स्थिति में खुले में खाना न बनवाया जाये खुले में खाना बनवाने से खाना बनते समय कीड़े आदि के गिरने की सम्भावना बनी रहती है, जहां खाना किचेनशेड में जलाऊ लकड़ी के माध्यम से बनाया जाता है। वहाँ धुयें की निकासी का उचित प्रबन्ध किया जाय, आवश्यकता के अनुसार पाइप लगाकर धुये को बाहर निकाला जा सके।
- जिन स्कूलों में गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर गैस की पाइप का समय-समय पर लिकेज हेतु परीक्षण किया जाय।
- गैस का रेग्युलेटर आदि सावधानी पूर्वक बन्द करने हेतु भी रसोइया को बताया जाय।
- भोजन खुले में नहीं परोसा जाय बिल्क इस हेतु किसी कक्ष का प्रयोग किया जाय।
- हैण्डपम्प का पानी स्वच्छ नहीं दिखने पर अथवा उसे दुर्गन्ध आदि होने पर उसका उपयोग बन्द करते हुये तत्काल खण्ड विकास अधिकारी/जल निगम से सम्पर्क किया जाय।

भवदीय, (एच**०एछ० गुप्ता)** सचिव

### पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि:--

- 1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
- 3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

(एच०एल० गुप्ता) सचिव SAM/Website

संख्या-1472 /अडसठ - 3-.2010

प्रेषक,

रेणका कुमार, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गॉर्डेन विकसित किए जाने के संबंध में दिशा- निर्देश। महोदय,

अवगत कराया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किए जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा की गयी नई पहल के अन्तर्गत राजकीय (जिनमें कक्षा 01 से 05 की कक्षायें मंचालित हों) व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में 'स्कूल न्यूट्रिशन गार्डेन' अर्थात् 'किचेन गार्डन' को प्रोत्साहित किय जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा किचेन गार्डेन की स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु रू0 5000/- प्रति विद्यालय की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

"मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेनू के अनुसार प्रति कार्य दिवस में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को पका-पकाया गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः निरीक्षण के समय यह देखा गया है कि विद्यालय के प्रांगण में अतिरिक्त भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत विद्यालयों में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिया जाना विद्यालय परिसर में मध्यान्ह भोजन हेतु हरी सब्जियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक कारगर प्रयास हो सकता है। विद्यालय में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के माध्यम से विद्यालय के अतिरिक्त भूमि पर क्यारी बनाकर हरी सब्जियां व फल/फूल को बोने/उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना एक सफल प्रयोग होगा।

किचेन गार्डन बनाने के उद्देश्य:-

बच्चों को मौसमी सब्जियों की उपयोगिता व उसमें पाये जाने वाले पोषण तत्वों के बारे में जानकारी बढ़ाना, जिससे वह यह संदेश अपने परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचा सकें।

मध्यान्हें भोजन योजनान्तर्गत बनाये जा रहे भोजन में किचेन गार्डेन में उगायी गई सब्जियों को मिलाते हुये उसे और अधिक पोषक बनाना।

छात्रों में मिल-जुल कर कार्य करने की भावना विकसित करना तथा मनोरंजन एवं व्यायाम के साथ-साथ स्वयं उगाये गये पौधों के प्रति स्वामित्व/जिम्मेदारी की भावना भी विकसित किया जाना।

अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में किचेन गार्डेन की स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव की कार्ययोजना निम्नवत् है:-

जमीन/स्थान का चिन्हीकरण 

- प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु विद्यालय में उपलब्ध जमीन का चिन्हीकरण कराया जायेगा। यदि जमीन की पैमाइश करानी है तो राजस्व विभाग अथवा स्थानीय लेखपाल से कराया
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में उपयुक्त जमीन की उपलब्धता होती है, किन्तु शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में जमीन न होने की दशा में छतों/अन्य स्थान पर गमलों, मटके, बोरे, जूट के थैलों आदि में पौधे उगाने की व्यवस्था की जायेगी।

चिन्हित स्थान यथासम्भव खुला व पर्याप्त सूर्य की रोशनी की उपलब्धता वाला होना चाहिए। पौधों को कम से कम 05 घंटे धूप मिलनी चाहिए।

चिन्हित स्थान बाउण्ड्रीवाल अथवा बाइ (फैन्सिंग) आदि से सुरक्षित होना चाहिए।

स्थान विद्यालय के प्रांगण अथवा निकटवर्ती होना चाहिए, जिससे अध्यापक/छात्र सुगमता से वहां कार्य कर सकें तथा पठन-पाठन कार्य में व्यवधान न हो। 

किचेन गार्डेन की स्थापना व रख-रखाव हेतु गतिविधियां

प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के परिसर में पोषण वाटिका के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रथम बार पोषण वाटिका बनाने में ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

उद्यान/वन विभाग से पोषण वाटिका में लगाने के लिए बीज व पौधों को आवश्यकतानुसार सशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।

किचेन गार्डेन को सफलतापूर्वक विकसित किये जाने एवं सुरक्षित रख-रखाव हेतु समुदाय/मां समूह/अभिभावकों का सहयोग लिया जाना होगा।

छात्रों के विभिन्न समूह तैयार कर प्रत्येक समूह द्वारा कतिपय पौधे /गमले आदि को अंगीकृत किया जायेगा तथा उन पौधों एवं गमलों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र समूह द्वारा ली जायेगी।

अंगीकृत पौधों के पास छात्रों के नाम का बोर्ड भी लगाया जाए, जिससे उन्हें अपने हाथ से लगाये गये पौधों के प्रति अपनत्व का बोध हो।

छात्र समूहों द्वारा अंगीकृत पौधों की गुणवत्ता के सापेक्ष छात्रों का उत्साहवर्द्धन किया जायेगा।

छात्रों को प्रेरित किये जाने हेतु विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा/गोष्ठी, गतिविधियां आयोजित की जायेंगी, जिसमें साग-सब्जी/फल की विशेषता के बारे में बताकर

किचेन गार्डेन की स्थापना व रख-रखाव में छात्रों के सिक्रय योगदान/श्रमदान से न सिर्फ छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी, अपितु उनके क्षमता में भी वृद्धि होगी।

मौसम के अनुरूप उगाई गई सब्जियों की पैदावार के दृष्टिगत विभिन्न दिवस यथा- गोभी दिवस, टमाटर दिवस, बैंगन दिवस इत्यादि के नाम से मनाया जा सकता है।

मॉडल स्टीमेट (वार्षिक आगणन)

किचेन गार्डेन हेतु प्रति विद्यालय रू० 5000/- की वार्षिक धनराशि का निर्धारण किया गया है, जिससे किचेन गार्डेन की स्थापना तथा वार्षिक रख-रखाव की कार्यवाही की जानी होगी।

उक्त धनराशि का लेखा विवरण विद्यालय स्तर पर व्यय पंजिका में व्यवस्थित किया जायेगा।

उक्त धनराशि के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में किचेन गार्डेन की स्थापना तथा वार्षिक रख-रखाव हेतु पृथक-पृथक मॉडल स्टीमेट तैयार किये गये हैं। यह मॉडल स्टीमेट तैयार किये जाने हेतु दिनांकः 09 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय उपोषण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें निकटवर्ती विद्यालयों के कतिपय छात्र, रसोइया, प्रधानाध्यापक, स्कीम आफीसर्स आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं किचेन गार्डेन के संबंध में अपना मंतव्य तथा कठिनाइयों के संबंध में विचार -विमर्श किया गया।

उक्त संस्थान द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने हेतु तैयार किये गये पृथक-पृथक मॉडल स्टीमेट निम्नवत् है:-

पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हेतु किचेन गार्डेन का मॉडल स्टीमेट (20 मी × 10 मी0)

क्र० सं०.	व्यय विवरण	ट (20 भी × 1 मात्रा	0 मी0) दर	কল
1	स्थाई व्यय			व्यय
1.1	खाई ( 1/2 मी० चौड़ी X 01 मी0 गहरी )	Δ		
1.2	बाड (करोंदा)	60 मी 0	10	600
42.4-0x300000000000000000000000000000000000	The American Comment of the control	60 पौधे	10	600

	S			
1.3	all Mills			
	बाड़ लगाने का खर्च (गड्ढा खोदना, भरना व पेड लगाना)	60	10	600
3 4				
1.4	भूमि की तैयारी (जुताई व समतलीकरण)			
1.5	आनुवार व समतलाकरण)			500
	आवश्यक उपकरण (फवडा , खुरपी, कुदाल,			1000
	(nar, anel)	1		
1.6	वगीचे का रेखांकन		***************************************	***************************************
	and the second of the second o	01	250	250
1.7	फल वाले पीधे	आदमी		
	Control of the Contro	10	50	500
-	योग	The second second second		4050
2	अस्थाई व्यय		ongo to o o o o o o o o o o o o o o o o o	A U U U .
2.1	The state of the s			
2.2	सब्जियों वाले पौधे/ वीज (1000) पौधे प्रति मीजन)		3 सीजन	3000
4.2	खाद, कीट व फफूंद दवाएं		-	
	योग		प्रति वर्ष	1000
	कुल योग			4000
-2-				8050
नाटः उत्	ीं थ्या हा तस किया		1	4420

नोटः उक्त व्यय का वहन निर्धारित बजट रू० 5000/- की धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा/ग्राम निर्धि/14वें विक्त वायोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फल/सब्जियों के बीज/पौधे उद्यान विभाग/वन विभाग/खाद्य प्रस्संकरण विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन की उपलब्धता न होने की स्थिति में किचेन गार्डेन का माडल स्टीमेट (10मी × 10 मी01

क्रि० सं०.	व्यय विवरण	मात्रा		
1		् भावा	दर	कुल व्यय
	ग्रो वैग्स (सब्जियों हेतु) (01 घनफीट)	4		
2	ग्रो वैग्स (फल पौधो हेतु 02 घनफीट)	150	10	1500
3	मिटी मिक्नर (८६ प्राची ०००	10	30	300
	मिट्टी मिक्चर (65 घनफीट मिट्टी +60 घनफीट	(200	20	-
4	— गर्द र १० वर्गफोट गावर की काका	घनफीट)	~~	4000
5	ग्रो बैग्स की भराई	160		
6	कीट नाशक व फफूंद नाशक	400	2/बैग्स	320
Ü	आवश्यक उपकरण (खुरपी, हजारा, वाल्टी, मग)		-	500
	मग)	~	-	1000
7	उर्वरक			1000
8	सब्जियों वाले पौधे/वीज	_	-	
	(500 Has - 0	***		500
- 1	( 500 पौधे प्रति मीजन )		03 सीजन	1500
9	फल वाले पौधे			
	कुल योग	10	50	
नोट: जन			30	500
	ज्यय का बहन निर्धारित बजट रू० 5000/-	9 - 0 -		10120

निर्घारित बजट रू० 5000/- की धनराशि के अतिरिक्त वार्ड निर्घि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया जा सकता है तथा फल/सब्जियों के बीज/पीधे उद्यान विभाग/वन विभाग/खाद्य प्रस्संकरण विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं।

योजनान्तर्गत निर्धारित धनराशि रू० 5000/- के अतिरिक्त किचेन गार्डेन की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु • याजान्याचा नाजान्य व नाजान्य का स्थापना एव रख-रखाव हुए आवश्यक सामग्री का वित्तपोषण यथा- ग्राम निधि से बीज/पौधों का भुगतान, वाटिका तैयार करके ससमय आवश्यक मजदूरी का भुगतान आदि ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग द्वारा नियमानुसार किया जा सकता है।

• किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु अकुशल श्रमिक की व्यवस्था मनरेगा योजना से करायी जा सकती है। इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत डेवलेपमेन्ट प्लान (GPDP) में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने का कार्य को सम्मिलित किया जाये।

 राज्य सरकार की उद्यानीकरण/वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत भी किचेन गार्डेन को विकसित कराये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

फलों/सब्जियों का चयन

- सब्जियों व फलों का चयन जलवायु परिस्थितयों तथा छात्रों की पसंद के अनुसार किया जाये।
- मेड़ों का उपयोग जड़ वाली फसल के लिए किया जाये।

रास्ते के किनारे पत्ती वाली सब्जियों के लिए किया जाये।

वाटिका के अंत में दो खाद के गड्डों का निर्माण कर विद्यालय का जैविक कचरा खाद के लिए उपयोग किया
 जाये।

' प्रदेश की जलवाय परिस्थि	ाति के अनुसार 03 सीजन	में उगाई जाने वाली सब्जियों का विवरण निम्नवत् है:-
जायद वाली फसल	खरीफ वाली फसल	रबी वाली फसल
भिन्डी	चौलाई	टमाटर
पालक	भिन्डी	मटर
लोबिया	बैंगन	म <del>िर्च</del>
लौकी	लोबिया	पत्ता गोभी
करेला	करेला	फूल गोभी
खीरा	तुरई	पालक, सरसों, मेथी, सोया, धनिया, बथुआ
कददू	अरबी	शिमला मिर्च
तरबूज	कददू	बैंगन
खरबूजा	लौकी	नेतुस
वैंगन	खरीफ प्याज	ब्रोकोली
चुकंदर	सेम	प्याज, लहसुन
शलजम		चुकंदर -
गाजर, मूली		शलजम, गाजर, मूली

#### नोडल मधिकारी

• किचेन गार्डेन को विकसित कराने एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो आवश्यकतानुसार ग्रास्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र/वन विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से समन्वय स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

#### जल की उपलब्धता

Lat.

ि किचेन गार्डेन के अन्तर्गत रोपित पौधों की नियमित सिंचाई स्थानीय फण्ड यथा- मनरेगा योजना/ग्राम
 निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग से नियमानुसार करायी जा सकेगी।

विद्यालय के छात्र समूहों, रसोइयों, स्थानीय समुदाय आदि को पेड़ों को नियमित रूप से जल दिये जाने हेतु

पौधों की सुरक्षा

पौधों की सुरक्षा हेतु विद्यालय परिसर की वाउण्ड्री वाल एवं गेट की व्यवस्था संचालित आपरेशन कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत की जा सकती है।

पौधों की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु फैन्सिंग, वायोफैन्सिंग आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसका वित पोषण निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग मे भी किया जा सकता है।

अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण

किचेन गार्डेन स्थापित किये जाने की प्रगति का विवरण मासिक आधार पर मध्यान्ह भीजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप पृथक से जनपदों को प्रेपित किया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अन्य मदों की भांति किचेन गार्डेन का अनुश्रवण भी राज्य/जनपद/विकास खण्ड

स्तर पर टास्क फोर्स के माध्यम से किया जायेगा।

भवदीया. (रेणुंका कुमार) अपर मुख्य मचिव

संख्या-1472(1)/अडसठ -3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०। 1-

2-निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०। 3-

निदेशक, कृषि निदेशालय, उ०प्र0। 4-

निदेशक, राज्य उपोद्ध्या एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ। 5-

निदेशक, बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र0, लखनऊ। 6-

7-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र01

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र0। 9.

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र0।

आज्ञा से (देव प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

पौघों की सुरक्षा

पौधों की सुरक्षा हेतु विद्यालय परिसर की बाउण्ड्री वाल एवं गेट की व्यवस्था संचालित आपरेशन कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत की जा सकती है।

पौधों की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु फैन्सिंग, बायोफैन्सिंग आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसका वित्त पोषण निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा योजना/ग्राम निर्धि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग मे भी

अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण

किचेन गार्डेन स्थापित किये जाने की प्रगति का विवरण मासिक आधार पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप पृथक से जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अन्य मदों की भांति किचेन गार्डेन का अनुश्रवण भी राज्य/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स के माध्यम से किया जायेगा।

> भवदीया. (रेणुका कुमार) अपर मुख्य सचिव

## संख्या-1472(1)/अडसठ -3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०। 1.
- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०। 2-
- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र0। 3-
- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ०प्र01 4-
- निदेशक, राज्य उपोष्णा एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ। 🗸 5-
- निदेशक, बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ। 6-
- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०। 7-
- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0। 8-
- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र0। 9-
- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र0। 10-

( देव प्रताप सिंह) विशेष सचिव।

## <u>Table 1</u> Mid Day MealScheme, U.P. School Level Budget for 2021-22

Sr. No.	Heads	Rate	<b>Budeted Amount</b>
1	Form & stationery @ Rs 150/- per school per yr. for 1.44 lac schools	150.00	216.00
2	Prerna Technical Framework (Including IVRS and Call Centre Management)	-	350.00
3	Manual for all Schools @Rs. 100 (100% Convergence through SSA)	•	0.00
4	Apron Gloves 2 Set @ Rs. 450 for 380000 cooks for hygiene safety	450.00	1710.00
5	Cooks Training @150 for 3.8 lac	150.00	570.00
6	Cooks Competetion @56000 per District	56000.00	42.00
7	IEC Activities (Audio/Video etc)	-	30.00
8	Prachar Prasar	-	30.00
			2948.00

## Table 2 Mid Day Meal Scheme, U.P. Summary of 75 District offices' Budget for 2021-22

(in Rs lac

			(in Rs lac)
Sr. No.	Heads		<b>Budeted Amount</b>
1	District Co-ordinator & Operator Salary (75x12)		
a.	For Co-ordinator per month+10% incr.	32210.00	289.89
b.	For Computer Operator per month+10%incr.	16105.00	144.95
2	T.A./ Conveyance etc (75x12)		
a.	For Co-ordinator per month	5000.00	45.00
b.	For Computer Operator per month	2000.00	18.00
3	Purchase of Furniture, Hardware, Software& Other Items @ Rs 50,000/ per annum per	50000.00	37.50
	district	50000.00	37.30
5	Other Contingent Expenses		
a.	Contingency for BSA offices per annum per district	50000.00	37.50
b.	Contingency for approx. 900 Blocks per annum per unit	10000.00	90.00
	Total		662.84

#### <u>Table 3</u> Summary of 18 Divisional offices' Budget for 2021-22

(in Rs lac)

Sr. No.	Heads		<b>Budeted Amount</b>
1	Divisional Co-ordinator & Operator Salary (18x12)	-	
a.	For Co-ordinator per month+10% incr.	32210.00	69.57
b.	For Computer Operator per month+10%incr.	16105.00	34.79
2	T.A./ Conveyance etc (18x12)	-	
a.	For Co-ordinator per month	5000.00	10.80
b.	For Computer Operator per month	2000.00	4.32
3	Purchase of Furniture, Hardware, Software& Other Items @ Rs 50,000/ per annum per divisional	50000.00	9.00
4	Other Contingent Expenses per division per annum	50000.00	9.00
	Total		137.48

# Table 4 Mid Day Meal Scheme, U.P. Summary of Headquarter Budget for 2021-22

(in Rs Lac)

Sr. No.	Heads		Budeted Amount
1	Salary & other administrative/ office expenditure	-	1200.00
2	TAC of 6 Persons (50% from SSA)	-	164.00
3	H/w, S/w & other office equipments	-	35.00
	Monitoring And Evaluation (Social Audit of 50% Schools @Rs. 6000 (75% from SSA & 25% of Budget From MDM))	1500.00	1080.00
	Total		2479.00

## Mid Day Meal Scheme, U.P. Summary of Total MME Budget for 2021-22

(in Rs Lac)

1	School Level	2948.00
2	District/Divisional Level	800.32
3	State Level	2479.00
	Total	6227.32